मध्यप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था

मेनूअल

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट,
36, ग्रीन ऐवेनीयू चूना भट्टी कोलार रोड़ भोपाल

अनुक्रम

1. पंचायत राज और स्वशासन 1

1.1 पहले की पंचायतों और आज की पंचायतों का अंतर 1

1.2 73 वॉ संविधान संशोधन 3

1.3 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विशेषताएं 3

2 पंचायती राज संस्थायें एक परिदृश्य 6

2.1 ग्राम सभा 6

2.2 ग्राम सभा की बैठक 6

2.3 ग्राम सभा का सचिव 6

2.4 कोरम 7

2.5 अध्यक्षता 7

2.6 ग्राम सभा का आयोजन 7

2.6.1 प्रचार–प्रसार 7

2.6.2 गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित 7

2.6.3 प्रत्येक ग्राम सभा हेतु शासकीय प्रतिनिधि 7

2.6.4 ग्राम सभा की कार्यसूची (एजेण्डा) 8

2.6.5 ग्राम सभा आयोजन का प्रतिवेदन 8

2.7 ग्राम सभा की शक्तियाँ और काम 8

2.8 ग्राम सभा की समितियॉ 9

2.9 ग्राम सभा की समितियॉ गठन और उनके काम 9

2.10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के आपसी संबंध 9

3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 11

3.1 जिला पंचायत 11

3.1.1 जिला पंचायत का गठन 11

3.2 जनपद पंचायत 11

3.2.1 जनपद पंचायत का गठन (धारा 22(1) 11

3.3 ग्राम पंचायत 12

3.3.1 ग्राम पंचायत का गठन (धारा – 13) 12

3.3.2 ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया 12

3.4 ग्राम पंचायत के काम 13

3.5 ग्राम पंचायत के पंच की जिम्मेवारियां 14

3.6 उपसरपंच की जिम्मेवारियां और अधिकार 14

3.7 सरपंच की जिम्मवारियां और अधिकार 15

3.8 ग्राम पंचायत के सचिव के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व 15

3.9 ग्राम पंचायत में वित्तीय एवं कराधान कार्य : 16

3.9.1 पंच से अपेक्षाऐं 18

3.10 ग्राम पंचायत में रखी जाने वाली पंजियॉ 19

3.10.1 सरपंच के–ग्राम पंचायत के सदस्यों और सचिव से संबंध 20
3.10.2 उपसरपंच और पंचों से संबंध 20
3.10.3 सचिव से संबंध 21
3.11 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संबंध 21

4 ग्राम पंचायत निधि 23
4.1 केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाले अनुदान की योजनाये 23
4.2 पंचायत निधि का व्यय 23
4.3 रोकड़ बही 23
4.3.1 बकाया 24
4.3.2 रकम निकालना 24
4.4 मन्जूरी प्रभावी रहने की अवधि 24
4.5 व्यय पर नियंत्रण 24
4.6 ग्राम पंचायत निधि में रकम रखना व निकालना 24
4.6.1 निधियों का आहरण 24
4.6.2 अन्य पक्षों का भुगतान 24
4.6.3 नमूने के हस्ताक्षर 24
4.6.4 चैक 24
4.7 ग्राम पंचायत के अपने साधन 25
4.8 पंचायतें अपने साधन कहां–कहां से जुटा सकती हैं ? 25
4.9 ग्राम सभा की आय के साधन 25
4.9.1 ग्राम सभा द्वारा टैक्स लगाकर 25
4.9.2 ग्राम सभा द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स (कर) 26
4.9.3 अनिवार्य कर (जरूरी टैक्स) 26
4.9.4 भूमि तथा भवन पर (टैक्स) कर की दर 27
4.9.5 वैकल्पिक कर (टैक्स) 28

5 अनुसूचित क्षेत्रों के लिये पेसा अधिनियम 29
5.1 पेसा अधिनियम 29
5.2 पंचायत–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (40 / 1996) 30
5.3 मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के लिये विशेष व्यवस्था 32
5.4 मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र जिला तहसील 33

1. पंचायत राज और स्वशासन

पंचायत राज का नाम अभी पिछले वर्षो से ज्यादा सुन रहे हैं । हमारे यहां तो पंचायत की परम्परा बहुत पुरानी है । गॉव के पॉच जिम्मेवार लोग बैठकर गॉव के मामले तय करते थे । जैसे न्याय, समाज के नियम –कायदे, पढ़ाई–लिखाई, ईलाज का इंतजाम, बावड़ी, धर्मशाला, स्कूल आदि बनाने का काम पंचायतें करती थीं । कोई विवाद होता था तो गॉव की पंचायत फैसला कर देती थी और पूरा गॉव समाज उसे मान लेता था । यह कह सकते हैं कि हमारे यहॉं गॉव का काम गॉव में और गॉव का राज गॉव में था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गॉव के छोटे–छोटे गणराज्य की बात कही गई है । पंचायत हमारे गॉव समाज की ताकत थी । सर चार्ल्स मेटकाफ ने तो पंचायतों के लिये गॉव के छोटे– छोटे गणतन्त्र कहा था जो स्वयं में आत्मनिर्भर थे ।

अंग्रेज तो पूरी सत्ता अपने कब्जे में करके एकक्षत्र राज चाहते थे । इसलिये अंग्रेजों ने हमारे समाज की इस ताकत को तहस–नहस कर शासन की अपनी व्यवस्था की । जिसमें धीरे–धीरे सबकुछ सरकार के अधीन होता गया । सरकार की व्यवस्था मजबूत होती गई और समाज कमजोर होता गया । अंग्रेजी राज के बढ़ते असर से समाज में असंतोष बढ़ने लगा। जिसके कारण 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्स सुधार के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों के लिये नीति बनाने का काम प्रांतीय शासन पर छोड़ दिया । अंग्रेजों की नियत तब उजागर हुई जब एक तरफ पंचायतों को फिर से स्थापित करने की बात कही और दूसरी तरफ गॉव वालों से नमक तक बनाने का अधिकार छुड़ा लिया।

1.1 पहले की पंचायतों और आज की पंचायतों का अंतर

पंचायत राज व्यवस्था की बात करने से पहले हमें अपने समाज की पंचायतों और आज की पंचायतों की मुख्य बातें समझ लेनी चाहिये । पंरपरागत समाज की पंचायतों का स्वरूप एक हद तक अनौपचारिक था, उसके कायदे–कानून लिखित नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा होता था । पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था । पंचायत का सम्मान बहुत था । उन्हें तो पंच परमेश्वर तक कहा जाता था । पंचायतों के पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी । जबकि आज की पंचायतों के पास समाज की नहीं सरकार के कानून की ताकत है । इनका रूप औपचारिक है, हर बात कायदे–कानून के रूप में लिखी है । पंचायत के सदस्यों के पास समाज का वह भरोसा और ताकत नहीं है जो पुरानी पंचायतों का होता था, परंतु पहले की पंचायतों में कुछ कमियां थी जैसे पुरानी पंचायतों में महिलाओं के लिये कोई स्थान नहीं था । अनुसूचित जाति तथा पिछड़े गरीब लोगों के लिये कोई जगह नहीं थी । अक्सर बड़ी जाति के सम्पन्न लोगों का बोल–बाला रहता था । लेकिन आज की पंचायतों में महिलाओं के लिये एक तिहाई तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की उनकी संख्या के अनुसार पंचायतों में जगह तय है । इस तरह हम देखते हैं कि आज की पंचायतों में ऊँच –नीच , महिला–पुरूष आदि का भेद–भाव मिटाने की कोशिश की गई है । पहले की पंचायतों में सजा के तौर पर सबके सामने अपशब्द कहना, शारीरिक दण्ड देना और अपमानित करना एक आम बात थी। आज की पंचायत में किसी भी तरह का अपमान जनक व्यवहार कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता । पुरानी पंचायतों का ज्यादा जोर विवाद निपटाने और न्याय करने पर होता था । जबकि आज पंचायतों का जोर गॉव के विकास पर ज्यादा है । आज की पंचायतों को कानून का रूप जरूर मिल गया है परन्तु समाज का लगाव पहले की तरह नहीं है । एक तरह से देखें तो सरकार के शिकजें में जकड़ी है पूरी पंचायत व्यवस्था । सरकारी कायदे–कानून और काम करने के तरीके (प्रक्रिया) बहुत जटिल है । जो समाज के तौर–तरीकों से बहुत दूर । यदि पहले की पंचायत में सामन्ती बुराईयॉं थी तो आज की पंचायतें औपनिवेशिक (गुलाम बनाये रखने की) व्यवस्था की बुराईयों का पिटारा है । दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण और दोष हैं, उनकी ताकत और कमजोरियॉं है, यदि दोनों व्यवस्थाओं की कमजोरियों और दोषों को दूर करके इनकी ताकत और गुण अपनाये जा सकें तो आदर्श पंचायत राज हो सकता है ।

आजादी के बाद फिर से पंचायतों की सुध लेने के लिये बलवन्त राय मेहता समिति ने जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के गठन की सिफारिश की । 1978 में अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को असरदार बनाने के लिये कहा कि जब तक पंचायत के काम में सरकार दखल देती रहेगी पंचायतें स्वायत्त संस्था की तरह नहीं बन सकती । इस तरह समितियां सिफारिश करती रहीं। जिसमें से कुछ लागू की गई तो कुछ भुला दी गई । कुलमिलाकर पंचायतें सरकार की मर्जी की मोहताज बनी रहीं । जब चाहा उन्हे कुछ काम सौंप दिये जब चाहा उन्हे भंग कर दिया । बरसों चुनाव नहीं कराये एक तरह से भुला दिया गया ।

मध्य प्रदेश में पंचायत व्यवस्था समय सारणी

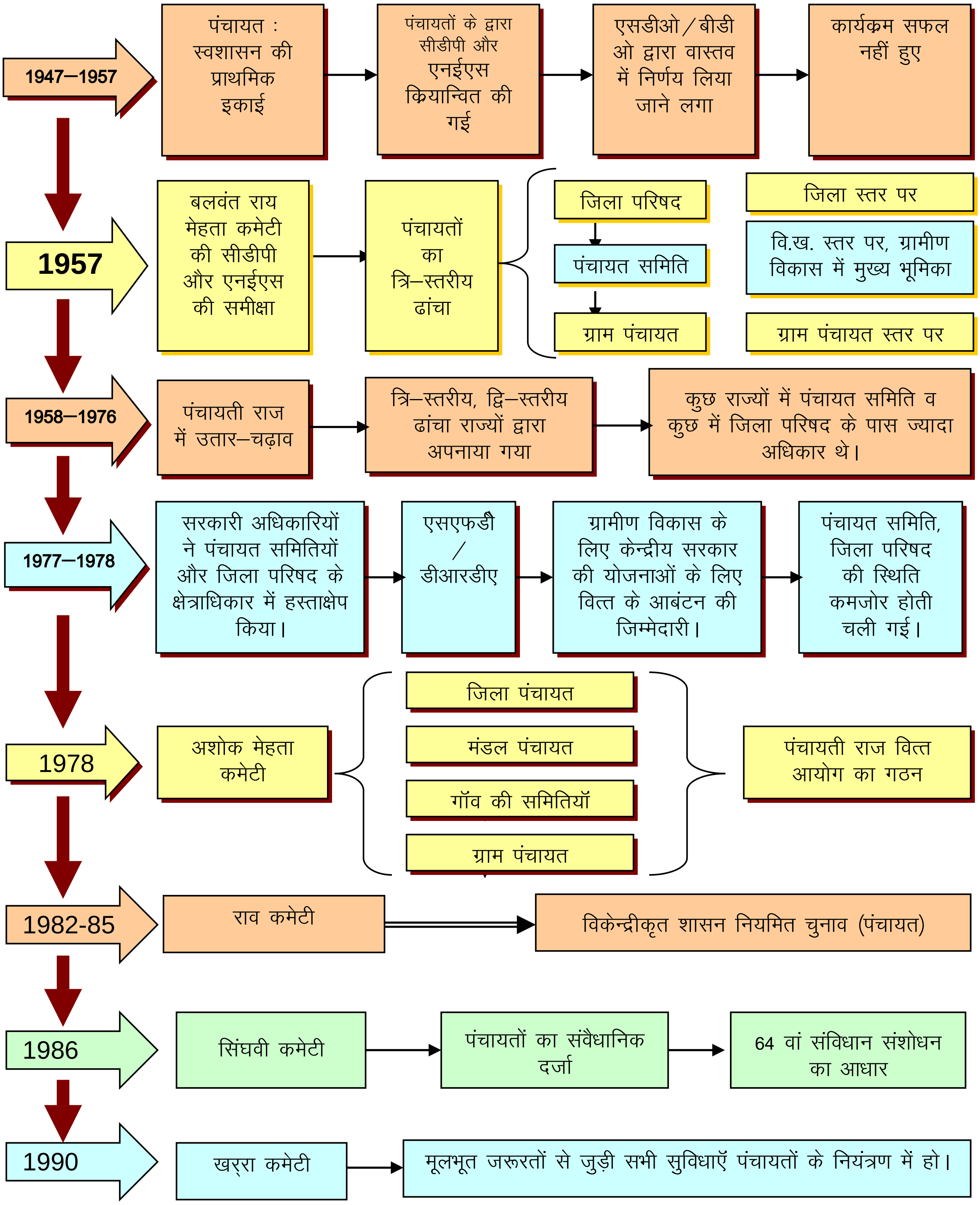

1.2 73 वॉ संविधान संशोधन

पंचायत राज के इतिहास में 24 अप्रेल 1993 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है इस दिन संविधान में 73 वॉ संविधान संशोधन कर पंचायत राज को स्थायी कर पहले से अधिक अधिकार देकर जिम्मेवार बनाने का रास्ता साफ किया गया । आईये 73 वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों की चर्चा करें जिसने पंचायतों को स्थायी करके महत्वपूर्ण भूमिका भी दी है।

संविधान में संशोधन करके ये बातें तो पूरे देश में लागू कर दी गई हैं । देश तो बहुत बडा है । प्रदेशों की अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पंचायतें अपने अपने यहां काम कर सकें इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा है कि '' राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनकों ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो । ''
इसलिये सभी प्रदेशों ने पंचायतों को कुछ शक्तियां और अधिकार सौंपे है। मध्यप्रदेश में सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 बनाकर पंचायतों के लिये जो शक्तियां और अधिकार सौंपे हैं उनकी मुख्य बातें इस तरह हैं।

1.3 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की विशेषताएं

प्रदेश में नवम्बर 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित विधान सभा के द्वारा 30.12.1993 को मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम पारित किया गया । इसे 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई । 25 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र' में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया । इस अधिनियम में कुछ संशेधन करते हुए 30 मई 1994 को अध्यादेश जारी किया गया है । मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 की विशेषताएं इस प्रकार है :–

(1) प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा होगी । इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा जिसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो । ग्राम सभा की तीन मास में कम से कम एक बैठक करना जरूरी है । (धारा–6(1))

(2) ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, खण्ड के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया गया है । (धारा–8)

(3) प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि (कार्यकाल) पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की होगी। जब तक कि इसे समय से पहले कानूनन विघटित (भंग) न किया जाय । पंचायत में विघटित होने के छः माह के भीतर शेष कार्यकाल के लिये अगले चुनाव कराये जाना जरूरी होगा । (धारा–9–2ख)

(4) पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिये राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है । (धारा–42)

(5) ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा, जो एक से अधिक वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा और जनपद तथा जिला पंचायत के स्तर पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये पद होंगे ।

(6) एक खण्ड (जनपद पंचायत) के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिये ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किये गये हैं ।(धरा–17–दो–2)

जिस जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहां जनपद पंचायत के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों के 25 प्रतिशत (एक चौथाई) स्थान अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षित किये जायेगें । (धारा–17)

(7) जनपद पंचायत के भीतर सरपंचों के कुल स्थानों की संख्या के कम से कम पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं ।

(8) ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अनुसूचित जातिं, अनुसूचित जनजातिं या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के पंचों में से चुना जावेगा । (धारा–17–छ)

(9) ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा । जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने–अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे ।

(10) प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा ।

(11) यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधान सभा या राज्य सभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा ।

(12) जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जातिं और अनुसूचित जनजातिं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है । (धारा–23 और 30)

(13) जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहां पर अन्य पिछड़े वर्गो के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा सकेंगे ।

जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जायेगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या और पूरे जिले पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है । इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे । (धारा–25,32–(दो))

(14) ग्राम पंचायत,जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इनकी पहली बैठक आयोजित की जावेगी । यह सम्मेलन विहित अधिकारी के आदेश द्वारा बुलाया जावेगा । (धारा–20 (1) 27(1) 34 (1)

(15) ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले कामों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है । प्रत्येक पंचायत उसे दिये गये कार्यो को करेगी। (धारा–49, 50, 52) ।

पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं । इसके साथ– साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गो का नामांकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 54 से 60)।

(16) पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के काम में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिये ग्राम पंचायत सचिव, तथा जनपद और जिले के लिए

मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये जायेंगें । इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे जायेगें । (धारा–69 एवं 72) ।

(17) पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को बढ़ाने के उददेश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है । जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1,2 और 3 में है ।

(18) पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। (धारा 84)

(19) राज्य शासन समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंचायतों की जांच करा सकती है । (धारा 88)

(20) पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या उसकी सम्पत्ति की हानि, गलत ढंग से किए गये खर्चे, दुरूपयोग जो उनके कारण हुई है, के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। धारा–89

(21) ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला के पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अपने पद पर नहीं रह जायेगा । इसमें शर्त यह है कि यह तीन चौथाई बहुमत तत्समय (उस समय) पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक होना चाहिए । अविश्वास प्रस्ताव पंचायत गठन के ढाई वर्ष तक तथा अवधि समाप्त होने के अन्तिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता है ।

(22) पंचायत के नये चुने हुए सदस्यों का पहले सम्मेलन (बैठक)की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया माना जाएगा । बहिर्गामी (बाहर हो गए) सरपंच, जनपद अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर तत्काल सौंप देगा । (धारा)

(23) यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखी प्राथमिकता–क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा । शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा । (धारा–41)

1. जिला पंचायत का सदस्य
2. जनपद पंचायत का सदस्य
3. ग्राम पंचायत का सरपंच
4. ग्राम पंचायत का पंच

निर्वाचन से 15 दिन में कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है, एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा । यदि वह ऐसा विकल्प 15 दिन में नहीं देता है, तो वह ऊपर लिखे क्रम में किसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा ।

2 पंचायती राज संस्थायें एक परिदृश्य

2.1 ग्राम सभा

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार हर राजस्व और वन ग्राम के लिये अलग–अलग ग्राम सभा का गठन किया गया है । ग्राम सभा को गांव के काम करने के लिये बहुत से अधिकार और काम सौंपे गये हैं । अधिकारों के साथ–साथ ग्राम सभा की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है । मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 5 –क के अनुसार

- प्रत्येक गांव के लिये एक ग्राम सभा होगी ।
- अब ग्राम सभा को कानूनी दर्जा मिल गया है ।
- ग्राम सभा की अपनी सील होगी ।
- ग्राम सभा का अपना उत्तराधिकारी होगा ।
- ग्राम सभा अपने नाम से लोगों पर और संस्थाओं पर मुकदमा चला सकती है ।
- ग्राम सभा के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है ।
- ग्राम सभा अपने नाम से सम्पत्ति (जायदाद) अर्जित कर सकती है ।
- ग्रम सभा अपने नाम पर लोगों से और संस्थाओं से करार (अनुबंध) कर सकती है ।
- ऊपर बताये गये सभी काम ग्राम सभा, अधिनियम और अधिनियम से जुड़े नियमों के अनुसार ही कर सकती है ।

2.2 ग्राम सभा की बैठक

- ग्राम सभा की कम से कम जनवरी, अप्रेल, जुलाई और अक्टूबर में एक बैठक जरूरी होगी। (धारा 6 एक)
- ग्राम सभा की अतिरिक्त बैठक ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत या पचास सदस्य जो भी कम हो द्वारा लिखकर देने पर बुलाई जा सकती है ।
- ग्राम सभा की हर एक बैठक की तारीख, समय, स्थान और ग्राम सभा में चर्चा के विषय (एजेण्डा) की सूचना बैठक की तारीख से 7 दिन पहले दिये गये प्रारूप में दी जायेगी ।
- बैठक की सूचना गॉव के मुख्य–मुख्य जगह चिपकाकर और डोंडी पिटवाकर दी जायेगी । शुरू–शुरू में इसके अलावा गॉव के कुछ सक्रिय साथियों को लोगों के पास जाकर ग्राम सभा में आने के लिये समझाना भी पड़ेगा ।
- ग्राम सभा में रखे जाने वाले दस्तावेज ग्राम सभा का कोई भी सदस्य देख सकता है ।
- ग्राम सभा की बैठक में आये लोग हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करेंगे ।
- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा एक रजिस्टर में लिखा जायेगा ।
- ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी ग्राम सभा के सचिव की होगी । जो ग्राम पंचायत का भी सचिव है ।

2.3 ग्राम सभा का सचिव

ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा । ग्राम सभा का सचिव अब ग्राम सभाओं के नियंत्रण में रहेगा । जब भी सचिव को लेकर कोई विवाद होगा तो पंचायत की सभी ग्राम सभाओं की बैठक में वह विवाद तय (हल) होगा।

2.4 कोरम

ग्राम सभा के कुल मतदाताओं के दस प्रतिशत अर्थात 100 में से 10 लोगों का बैठक में होना जरूरी है, जो गॉव बहुत बड़े हैं । जहां मतदाताओं की संख्या पॉच हजार से ज्यादा हो तो वहां पांच सौ लोगों के उपस्थित होने से ही कोरम पूरा हो जायेगा।

2.5 अध्यक्षता

ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे । सरपंच के न होने पर उपसरपंच अध्यक्षता करेंगे । यदि सरपंच और उपसरपंच दोनों न हो तो उस गॉव के कोई भी चुने हुए पंच जिसे ग्राम सभा अध्यक्षता करने को कहे अध्यक्षता करेंगे । चूंकि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच को करना है इसलिये जिन पंचायतों में एक से अधिक ग्राम सभायें हैं वहां ग्राम सभा की तारीखें एसी तय करें कि एक दिन में दो गॉव की ग्राम सभा न हो । जिससे सरपंच सभी ग्राम सभा की बैठकों में जा सके ।

2.6 ग्राम सभा का आयोजन

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है । जिसके लिए शासन ने निम्नानुसार महत्वपूर्ण तिथियों–26 जनवरी, 14 अप्रेल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर नियत की है ।

ग्राम सभा एक संविधिक संस्था है, जो ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली के निरीक्षक के रूप में कार्य करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुसाध्य बनाती है । नई पंचायत, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है । शासन चाहता है कि आप हरसंभव प्रयास कर यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतें अपने–अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं का व्यापक स्तर पर परिणामदायी आयोजन अनिवार्यतः हो ।

2.6.1 प्रचार–प्रसार

प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां ग्राम सभा होने वाली है, इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। सभी गांव में इसकी मुनादी करवाई जाये । जिले के सभी साप्ताहिक हाट–बाजारों में भी इसकी मुनादी व घोषणा करवाई जाये । इसके साथ ही बैठक की सूचना का प्रकाशन, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मेलन की प्रक्रिया) नियम 1994 के नियम 4 (1) के अनुसार निर्धारित प्रारूप–एक में भी प्रत्येक ग्राम में किया जाये । तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की जानकारी मिलना चाहिए ।

2.6.2 गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित

अधिनियम में हाल में हुए संशोधन के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए नियत किये गये समय पर गणपूर्ति (कोरम) कि निर्धारित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते है तब अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मेलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा, जैसा कि वह नियत करें । स्थगित सम्मेलन की सूचना पूर्वानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित की जावेगी । स्थगित सम्ममेलन में गणपूर्ति आवश्यक नही होगी। स्थगित सम्मेलन में किसी नये विषय पर भी विचार नही किया जावेगा अर्थात बैठक की कार्यसूची (एजेण्डा) पूर्व अनुसार ही रहेगा ।

2.6.3 प्रत्येक ग्राम सभा हेतु शासकीय प्रतिनिधि

प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी नामांकित किया जाऐं जो ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें । शासन की मंशा है कि वर्ष में आयोजित होने वाली सभी चारों बैठकों के लिए एक ही व्यक्ति को नामांकित हों जो चारों बैठकों में उपस्थित हों । बैठक में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों एवं प्रस्तुत की जाने `वाली समस्याओं के निराकरण हेतु अनुभागीय अधिकारी को

प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि अगली त्रैमासिक बैठक में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति का सामना न करना पडे ।

2.6.4 ग्राम सभा की कार्यसूची (एजेण्डा)

प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में चर्चा किए जाने वाले विषयों की कार्यसूची तैयार करने के लिए स्वयं अधिकृत एवं सक्षम है । सुझावात्मक तौर पर जिन विषयों पर ग्राम सभा में अनिवार्यतः विचार किया जाना है इन विषयों के साथ–साथ अन्य स्थानीय मुददों पर भी ग्राम सभा में चर्चा की जाए । उपयोगी तथा सार्थक चर्चा में सभी की सौहर्द्रपूर्ण सहभागिता हो ।

2.6.5 ग्राम सभा आयोजन का प्रतिवेदन

ग्राम सभा के सम्मेलन का कार्य–विवरण जितनी जल्दी हो सके जनपद पंचायत में कार्यरत पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक को सचिव द्वारा सौपा जायेगा । पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक खण्ड की समस्त ग्राम सभाओं को प्रतिवेदन संकलित कर यथास्थिति अनुविभागीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनपद पंचायत के हस्ताक्षर से एक सप्ताह के भीतर जिले के उप–संचालक (पंचायत)को भेजेगें ।

2.7 ग्राम सभा की शक्तियाँ और काम

- यह तय करना कि गांव की तरक्की के लिये कौन–कौन सी स्कीमें (योजनायें) लागू करना चाहिये । सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिये यह तय करने के सि़द्धांत तय करना जिससे मनमानी करने की गुंजाईश न रहे ।
- ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पहले गांव की योजना बनाना जिससे वह ग्राम पंचायत की योजना में शामिल हो सके।
- योजना में मंजूर किये गये गांव में जो भी काम हो उन पर निगरानी रखना जिससे काम ठीक तरह से हो ।
- ग्राम पंचायत के सालाना बजट बनने से पहले अपने गांव की जरूरतें और आमदनी का ब्यौरा ग्राम पंचायत को भेजना जिससे गांव की जरूरतों के लिये बजट में इंतजाम किया जा सके ।
- ग्राम पंचायत की आडिट रिपोर्ट पर विचार करना ।
- यह देखना कि सरकारी कार्यक्रमों खास कर गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों का फायदा गांव के सबसे गरीब सदस्यों को मिले।
- गांव में जो सामाजिक संस्थायें काम कर रही हैं उनके काम पर नजर रखना ।
- गांव के जंगल, जमीन, पानी , खदान आदि की देखरेख करना । यह देखना कि इनका ऐसा दोहन या उपयोग हो कि ये साधन बर्बाद भी न हों । और ये साधन दूषित न हो पायें या खत्म न हो जायें ।
- गांव की जैविक सम्पदा का संतुलित उपयोग हो । इस संपदा के व्यावसायिक उपयोग के लिये शर्ते /नियम और सि़द्धांत तय करना।
- तालाबों का रख रखाव और उनका इंतजाम।
- गांव के काम के लिये पैसा कहां से आयेगा इसको संमझना और खर्च पर नियंत्रण करना ।
- जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये काम ग्राम सभा के सामने रखना । सब की सलाह से उन कामों को करना ।
- समय समय पर सरकार के द्वारा सौंपे गये काम ग्राम सभा में सभी के सामने पेश करना ।

- धारा 7 (ठ) के अनुसार गांव में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण जिसमें वेतन रोकना, आकस्मिक अवकाश (छुटटी) मंजूर करना , काम की जांच करना और काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश करना।
- जानकारी की कमी और कर्मचारियों की इच्छा नहीं होने कारण ग्राम सभायें अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती है।

2.8 ग्राम सभा की समितियॉ

पहले ग्राम सभा की 8 समितियॉ होती थीं । पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 में संशोधन कर आठ के स्थान पर अब दो समितियों के गठन का प्रावधान किया है । ये समितियॉ हैं :–

एक – ग्राम निर्माण समिति

दो – ग्राम विकास समिति

2.9 ग्राम सभा की समितियॉ गठन और उनके काम

अधिनियम की धारा 7 ख के अनुसार ग्राम निर्माण समिति, ग्राम पंचायत के एक अभिकरण ऐजेन्सी के रूप में काम करेगी। यह समिति पांच लाख रूपये तक के सभी निर्माण काम करेगी । साथ ही ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के द्वारा सौंपे गये दूसरे काम भी करेगी ।

ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति में अध्यक्ष को छोडकर कम से कम दो सदस्य होंगे । इनके अध्यक्ष का चुनाव ग्राम के सदस्यों के द्वारा होगा । अध्यक्ष ढाई वर्ष के लिये चुना जायेगा ढाई साल के बाद फिर से चुनाव होगा। यदि अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार दूसरी बार चुराव के लिये अयोग्य न हो तो वह फिर से चुनाव लड़ सकेगा ।

- ग्राम विकास समिति का गठन तथा उसके कार्य दी गई प्रकिया के अनुसार होगा ।
- ग्राम निर्माण समिति के सदस्य ग्राम विकास समिति में सदस्य होंगे ।
- इसकी प्रकिया क्या होगी इसके लिये प्रावधान बनाये गयें हैं ।
- ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति संयुक्त रूप से मिलकर गांव के विकास की एक पूरी योजना तैयार करके ग्राम सभा की मंजूरी के लिये पेश करेंगी ।
- अधिनियम की धारा 7 छ के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम निर्माण समिति का सचिव होगा ।
- ग्राम विकास समिति का सचिव भी ग्राम पंचायत का सचिव होगा।

2.10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के आपसी संबंध

किसी भी काम को अच्छे तरह से करने के लिए उस काम को कर रही ईकाईयों में, अलग–अलग स्तरों पर और पूरे संगठन में अच्छा तालमेल और आपसी समझ होना उपयोगी होता है । पंचायत राज ठीक से काम कर सके इसके लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में आपसी संबंधों की स्पष्ट समझ होना जरूरी है । तीनों स्तरों की पंचायतों में जो आपसी संबंध है उनकी प्रमुख बातें इस तरह है :–

- पंचायतें स्वशासन की स्वायत्त संस्थायें हैं इसलिये कोई पंचायत किसी दूसरी पंचायत के न तो ऊपर है और न ही नीचे ।

- कानून नियम, नीतियां, योजनायें, कार्यक्रम आदेश, बजट आदि राज्य से जिला, जिले से जनपद और जनपद से गांव तक आते हैं ।
- तीनों स्तर की पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेवार रहते हुए एक दूसरे से आपस में तालमेल रखना जरूरी है ।
- जनपद पंचायत में उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के 1/5 (यानि बीस प्रतिशत) सरपंच सदस्य होंगें । हर एक साल ये 1/5 पांच सरपंच बदलते रहेंगे । इस तरह पांच साल में सभी सरपंच जनपद सभा में प्रतिनिधित्व करेंगें ।
- जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे । इन्हें बैठक में चर्चा में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होगा।
- ग्राम पंचायत को जब कभी काम में कठिनाई आये और जरूरत महसूस हो तो वह जनपद और जिला पंचायत से मार्गदर्शन ले सकती है।
- इसी तरह जिला और जनपद पंचायत को अब गांवों की जानकारी की जरूरत हो तो वे ग्राम पंचायत से जानकारी लेती है ।
- ग्राम पंचायतें पांच लाख रूपये तक के निर्माण काम कर सकती है । पचास हजार रूपये तक के काम वह स्वयं पैसा ला करके कर सकती है । परन्तु इससे अधिक राशि के निर्माण काम के लिए उस जनपद पंचायत में काम कर रहे ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (जिसे आर.ई.एस. के नाम से भी जानते हैं) के उपयंत्री से तकनीकी मंजूरी लेना पड़ती है ।
- ग्राम पंचायत पांच लाख से अधिक राशि के काम नहीं कर सकती पांच लाख से अधिक राशि के काम के लिए जिला पंचायत ऐजेन्सी तय करती है ।
- ग्राम पंचायतों की योजनाओं को इकटठा कर जनपद पंचायत की योजना बनती है । सभी जनपद पंचायतों की योजनायें इकटठी करके जिला पंचायत की योजना बनती है ।
- ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में कर्मचारियों पर जिला पंचायत का कार्यकारी नियंत्रण रहता है ।
- जिले के लिए उपलब्ध खाद्यान जिला पंचायत के द्वारा सीधे –सीधे ग्राम पंचायत को भेजा जाता है ।
- ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के आधार पर जनपद पंचायत और जनपद पंचायतों के प्रस्तावों के आधार पर जिला पंचायत का बजट और योजना बनती है ।
- विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य या कोटा का ग्राम सभाओं में वितरण जिला पंचायत द्वारा किया जाता है ।
- जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायतों के काम की और जनपद ग्राम पंचायत के काम की मानीटरिंग (देख रेख) कर सकती है
- गांवों की जरूरतों का ब्यौरा ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत होता हुआ जिला पंचायत और शासन की योजनायें और कार्यक्रम जिले से जनपद पंचायत होते हुए ग्राम पंचायत तक पहुंचती हैं ।

3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

3.1 जिला पंचायत

हर एक जिले के लिये एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है । जिला पंचायत की स्थापना से पहले राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उस जिले के निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार बांटती है कि हर एक निर्वाचन की जनसंख्या लगभग पचास हजार हो । हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत के लिये एक जिला पंचायत सदस्य चुना जायेगा । यदि किसी जिले की जनसंख्या पांच लाख से कम हो तो भी वह जिला कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में बॉटा जायेगा । यह कोशिश होगी कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या बराबर हो । किसी भी जिले में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पैतीस से अधिक नहीं होगी । (धारा – 30)

3.1.1 जिला पंचायत का गठन

- निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये सदस्य।
- लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा के सदस्य।
- जिले की सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।
- विधान सभा के सदस्य यदि असमर्थ हों तो वे अपना प्रतिनिधि मनोनीत करके जिला पंचायत में भेज सकते हैं । लोक सभा और विधान सभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में पड़ता है जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते।
- जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है।

पंचायत की अवधि तीनों स्तर की पंचायतें मतलब ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख से पांच साल तक के लिये पंचायत रहती हैं । पंचायतों को उसकी पांच साल की अवधि (समय) खतम होने के पहले फिर से गठित करना जरूरी है । यदि पंचायतें फिर से गठित नहीं हो पाईं तो पांच साल की अवधि खतम होने पर पंचायत भंग हो जाती है । ऐसी हालत में राज्य सरकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुऐ नयी पंचायतों का गठन करेगी।

3.2 जनपद पंचायत

प्रत्येक विकासखण्ड (ब्लाक) के लिये एक जनपद पंचायत होती है । राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके जनपद के क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटेगी जिससे प्रत्येक निर्वाचन जनसंख्या पांच हजार के करीब हो । एक निर्वाचन क्षेत्र से जनपद के लिये एक सदस्य चुना जावेगा । यदि किसी जनपद क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार से कम हो तो उस दिशा में भी जनपद पंचायत के क्षेत्र को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जावेगा । यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग बराबर हो । किसी भी जनपद के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पच्चीस से अधिक नहीं होगी । (धारा – 23)

3.2.1 जनपद पंचायत का गठन (धारा 22(1)

- निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये सदस्यों द्वारा ।
- ऐसे विधान सभा क्षेत्र से चुने गये विधायक जिनका क्षेत्र पूरी तरह से या आंशिक रूप से जनपद के क्षेत्र में आता है । यदि विधान सभा का क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में पड़ता है तो उस विधान सभा क्षेत्र का विधायक जनपद का सदस्य नहीं होगा ।

- जनपद पंचायत के क्षेत्र से चुने गये कुल सरपंचों के 1/5 सदस्य जनपद के सदस्य एक साल के लिये होगें । इसके बाद हर एक साल कुल सरपंचों के 1/5 सदस्य चक्रानुक्रम (बारी–बारी से) से जनपद के सदस्य होगें। 1/5 सदस्य का नामांकन विहित प्राधिकारी द्वारा लाट निकाल कर किया जाता है। इस तरह से पांच सालों में सभी सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य बन सकेंगें। इन्हें जनपद पंचायत की बैठक में चर्चा में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार है। किंतु अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं है।

3.3 ग्राम पंचायत

संविधान में 73 वें संशोधन के बाद पंचायत राज मजबूत हुआ हैं । पंचायतें स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्थापित हुई हैं । गांव के विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना इनका प्रमुख काम हैं। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा से निर्देश लेकर काम करेगीं प्रजातंत्र में अब गांव के आम नागरिक की भूमिका केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि ग्राम सभा के माध्यम से विकास तथा गांव में दिन प्रतिदिन होने वाले कार्यों पर नियंत्रण करना हो गई है । अब गांव के चुने हुए प्रतिनिधि अपने गांव के लिये अधिक अंच्छी भूमिका निभा सकेगें ।

ग्राम पंचायत का क्षेत्र गांव की आबादी (जनसंख्या) एक हजार होने पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है । जिन गांव की आबादी एक हजार से कम है वहॉ एक से अधिक गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। बहुत छोटे–छोटे गांव होने पर तो चार, पांच गांव मिलाकर एक पंचायत बनी है।

ग्राम पंचायत का वार्डो में बटवारा (धारा – 12)

- हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम दस और ज्यादा से ज्यादा बीस वार्ड होगें ।
- विहित अधिकारी (कलेक्टर) वार्डों का बटवारा करते समय यह ध्यान रखेंगे कि हर वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर हो । इन वार्डों का बटवारा जातियों के आधार

3.3.1 ग्राम पंचायत का गठन (धारा – 13)

गांव में रहने वाले जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है वह पंचायत के पदाधारियों के चुनाव में वोट दे सकता है और खुद भी पंचायत के पंच या सरपंच का चुनाव लड़ सकता है । ग्राम पंचायत के वार्डों से चुने गये पंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत बनेगी । ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच के अलावा एक उप सरपंच भी होगा । पंच और सरपंच सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं । उप सरपंच चुने हुये पंचों में से चुना जायेगा । यदि ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच इन्ही तीन वर्गो में से चुना जायेगा।

3.3.2 ग्राम पंचायत की बैठक की प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 44(1) के अन्तर्गत पंचायत बैठक आयोजन की प्रक्रिया

1. सरपंच द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान तय किया जाएगा ।
   - अ. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना, जिसमें तारीख समय और उसका स्थान तथा उसमें किए जाने वाले कामकाज दिये जाएगें साधारण बैठक से पूरे सात दिन पहले और विशेष सम्मेलन से पूरे तीन दिन पहले पदधारी को भेजी जाएगी और पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी ।

ब. प्रत्येक बैठक में सरपंच, या उसके गैरहाजिरी में, उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, या दोनों की गैर हाजिरी में सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य अध्यक्षता करेगा ।

2. बैठक में कोई भी फैसला उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा । बराबर मत पडने की हालत में अध्यक्ष के मत से फैसला होगा ।

3. (1) यदि सभापति यह समझते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें किसी सदस्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक हित हो सकता है तो सभापति उस सदस्य को मतदान करने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकता है ।

(2) जिस सदस्य को रोका गया है वह सभापति के इस फैसले पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी हालत में सभापति इस बात को बैठक में रखेंगे । बैठक में लिया गया फैसला अंतिम होगा।

4. कोई पदधारी बोलते समय इन बातों का ध्यान रखे :–

(क) न्यायालय में विचाराधीन किसी विषय पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा ।

(ख) स्थानीय शासन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्व व्यक्तिगत आरोप या अभियोग नहीं लगायेगा ।

(ग) संसद या राज्य के विधान सभा, जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।

5. सभापति द्वारा मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद उस पर कोई नहीं बोलेगा ।

6. जिसे बोलना हो वह अपने स्थान पर खडा होगा किंतु सभापति द्वारा वक्ता का नाम पुकारे जाने से पहले नहीं बोलेगा। बोलने वाला सदस्य सभापति को संबोधित करेगा ।

7. कोई भी पदधारी पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय के संबंध में संकल्प पेश कर सकेगा ।

8. सभापति किसी भी संकल्प को स्वीकार करने के संबंध में फैसला करेगा , यदि उसकी राय में कोई संकल्प अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन करता है तो वह उसे ग्रहण नहीं करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा।

9. संकल्प की भाषा शालीन हो ।

10. संकल्प की सूचना लिखित में होगी और उसमें प्रस्तावक के दस्तखत हों ।

11. किसी भी संकल्प पर की जाने वाली चर्चा केवल संकल्प तक ही सीमित होगी ।

12. जब अनेक विषय बिंदुओं से अर्न्तवलित किसी संकल्प पर चर्चा कर ली जाए , तब सभापति अपने विवेकानुसार संकल्प का विभाजन करेगा और प्रत्येक या किसी एक विषय बिंदु को जैसा वह उचित समझे पृथकतः मत देने के लिये रखेगा।

3.4 ग्राम पंचायत के काम

- ग्राम सभाओं से आये प्रस्तावों को मिलाकर ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की सालाना योजना तैयार कर जनपद पंचायत को समय पर भेजना ।
- अपने इलाके में हाट बाजारों तथा मेलों की स्थापना करना , उनके लिये नियम तय करना और उनका इतंजाम करना।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा सौंपी गई स्कीमों (योजनाओं), निर्माण कार्यो और परियोजनाओं को पूरी कराना और उनकी देख रेख करना ।
- पंचायत के संसाधनों (पैसा, सामग्री और मानव शक्ति), योाजनाओं और किये जाने वाले खर्चे पर नियंत्रण रखना।
- ग्राम पंचायत की सीमा में बनने वाले मकानों और आवासीय कालोनियों को मंजूरी देना ।

- ग्राम सभा की समितियों के काम से तालमेल रखना ।
- यह ध्यान रखना कि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों, अपंग और गरीबों के लिये जो भी योजनायें और कार्यक्रम हैं उनका फायदा उन तक समय पर जरूर पहुंचे और कोई अपात्र इनके हिस्से का फायदा न ले पाये ।
- इस बात की चिंता करना कि निराश्रित पेंशन पाने वालों के मामले समय पर जनपद पंचायत को चले जायें और वहां आई राशि समय पर निराश्रितों तक पहुंच जाये । इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई गरीब निराश्रित छूट न जाये । और किसी अपात्र व्यक्ति को गरीब को मिलने वाला पैसा न मिल जाये ।
- ग्राम सभा को जो काम सौंपे गये है उनके लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाले पैसों को ग्राम सभाओं को पहुंचाना । ये पैसे बांटते (आंवटन) समय केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा तय किये गये मानदण्डों और नियमों का पालन करना ।
- ग्राम पंचायत के इलाके की जैविक सम्पदा मतलब (पेड, पौधे, लता, पत्र, कंद आदि जीव जानवर जन्तु, कीडे मकोडे, चारागाह , खदाने , सार्वजनिक भूमि, नदी , झरने भूमिगत जल कुंआ, बावडी, आदि के रख रखाव की चिंता करना।) इनके व्यवसायिक उपयोग के लिये शर्ते तय करना । उनके उपयोग पर शुल्क लगाना ।

3.5 ग्राम पंचायत के पंच की जिम्मेवारियां

- ग्राम पंचायत में चल रही विकास योजनाओं , निर्माण कार्यो और कार्यक्रमों की जानकारी रखना ।
- ग्राम पंचायत की बजट की जानकारी प्राप्त करना ।
- ग्राम पंचायत की बैठक में कार्यसूची (एजेण्डा)के किसी भी विषय पर जानकारी लेना और सुझाव देना ।
- यदि किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये ग्राम पंचायत में मतदान की जरूरत होती है तो अपना निष्पक्ष मत देना। जिस वार्ड का वह प्रतिनिधि है उसके विकास के लिये कोशिश करना ।
- अपने वार्ड की जरूरतों को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल करवाना ।
- सरकारी कर्मचारियों से जरूरी सहयोग लेना और उन्हे सहयोग देना ।
- ग्राम पंचायत की बैठक के लिये (ऐजेण्डा) कार्य सूची में शामिल करने के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को प्रस्ताव भेजना ।
- उपसरपंच के चुनाव में मत देना ।
- ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच की गैर हाजिरी में ग्राम पंचायत की बैठक के लिये अध्यक्ष को चुनना ।
- सरपंच और उपसरपंच को उनके काम में सहयोग करना ।
- ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर नजर रखना और यदि कहीं पर कोई भी अनियमितता हो रही हो तो उसे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की जानकारी में लाना ।
- सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी के प्रचार–प्रसार में सहयोगी होकर अधिक से अधिक व्यक्तियों /परिवारों तक इस जानकारी को पहुंचाना ।

3.6 उपसरपंच की जिम्मेवारियां और अधिकार

- उप सरपंच वार्ड का मेम्बर होने के साथ – साथ ग्राम पंचायत का उपसरपंच भी होता है ।
- सरपंच की गैर हाजिरी में सरपंच के सभी काम
- ग्राम पंचायत के काम में सरपंच का सहयोग करें और जरूरी सलाह भी दे ।
- यदि सरपंच त्यागपत्र दे या उसे पद से हटा दिया जो ऐसी हालात में जब तक सरपंच का पद भरा नहीं जाता तब तक सरपंच का काम चलाने की जिम्मेवारी उपसरपंच की है ।

- धारा 48 के अनुसार नियम द्वारा दी गई शक्तियों और कामों का पालन उपसरपंच के द्वारा किया जायेगा।

3.7 सरपंच की जिम्मवारियां और अधिकार

- ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता करना ।
- बैठक में किये गये फैसलों को लागू करना ।
- जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरकारी कार्यालयों से तालमेल रखना । और उनके द्वारा बताये गये काम करना।
- गांव के विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना।
- यह देखना कि जिस काम के लिये पैसा आया हो उसी में खर्चा हो । साथ में पैसा नियम कायदे से खर्चा हो और किफायत से खर्च किया जाये ।
- पंचायत की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब (लेखा) ठीक से रखना ।
- इस बात का ध्यान रखना कि बैठक में सभी सदस्य अपनी बात रखें खासकर महिलायें, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के सदस्य और गरीब लोग जरूर अपनी बात कर सके ।
- सभी बच्चे, खासकर लडकियां स्कूल जा सकें ।
- पंचायत के काम के संबंध में लिखा पढी आदि काम ग्राम पंचायत के सचिव से करवाना ।
- दस्तखत करते समय कागज पर लिखे को अच्छी तरह समझ ले उसके बाद ही कहीं दस्तखत करे ।
- पंचायत सचिव के काम की देखरेख करना ।

3.8 ग्राम पंचायत के सचिव के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

ग्राम पंचायत के सभी कामों की लिखा पढी, सरकारी दफतरों से उनका क्रियान्वयन, पंचायत के सभी रिकार्ड आदि तैयार करना तथा उन्हें सम्हाल कर रखना सचिव के कामहैं । सरपंच, उपसरपंच और पंचों को ग्राम पंचायत के सचिव के काम की जानकारी होना जरूरी है । तभी वे अपनी भूमिका ठीक से निभा सकेगें ।

पंचायत सचिव के दायित्व निम्नानुसार है :–

- ग्राम पंचायत कार्यालयों में नस्तियों का रख–रखाव विषयवार करना और पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखना, पंचायत के पुराने रिकार्डो को पंजीबद्व कर सुरक्षित रखना ।
- सरपंच की सलाह से पंचायत के कार्यालय का समय तय करना और तय समय में कार्यालय में उपस्थित रहना।
- ग्राम पंचायत में निर्धारित सभी पंजियां एवं अभिलेख तैयार करना ।
- सरपंच की सहमति से ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने की कार्यवाही करना ।
- ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यप्रति सरपंच के हस्ताक्षर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजना तथा उस पर अमल कराने का प्रयास करना ।
- ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही करना ।
- सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को, पंचायत अधिनियम एवं उसके तहत नियमों के आधार पर सही सलाह देना। कोई कार्य या प्रस्ताव यदि पंचायत अधिनियम के विपरीत हो रहा तो सरपंच एवं पंचों का ध्यान आकर्षित करना।
- ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के गठन के लिये नियम के अनुसार सरपंच को सलाह देना ।
- प्रत्येक समिति की कार्यवाही का विवरण रखना और उसे पंचायत की बैठक में पेश करना ।

- स्थायी समिति के लिए समिति के अध्यक्ष की सलाह से कार्यवाही तैयार करना ।
- जिला तथा जनपद पंचायत एवं शासकीय कार्यालयों से आये पत्रों, निर्देशों को सरपंच के सामने जरूरी कार्यवाही के लिए पेश करना तथा सरपंच की अनुमति से ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करना ।
- शासन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा मांगी गई जानकारियां सरपंच के हस्ताक्षर से समय से भेजना । ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित रिपोर्ट समय से भेजना ।
- ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष निश्चित दिनांक तक तैयार कर ग्राम पंचायत में रखना और उस पर आगे कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
- ग्राम पंचायत की चल और अचल संपत्ति का लेखा रखना तथा चल संपत्ति को विधिवत पंजी में लिखकर उसका भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष, नियम के अनुसार सरपंच से अथवा पंचायत द्वारा अधिकृत पंच से कराना ।
- अचल संपत्ति भवन, तालाब, बगीचे, बाजार, मेले की भूमि के संधारण पर ध्यान देना और समय–समय पर उसकी मरम्मत कराने हेतु सरपंच एवं ग्राम पंचायतों को सुझाव देना ।
- अचल संपत्ति से होने वाली आय का लेखा–जोखा रखना । जैसे भूमि एवं भवन किराया तालाब एवं मछली पालन, सिचाई, उत्पादन, बाग बगीचे आदि ।
- पंचायत की अचल सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थलों में अतिक्रमण सीमा पर चौकसी रखना और उसे रोकने और हटाने के लिए सरपंच को सलाह देना ।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र की आधारभूत जानकारियां रखना

  (1) पंचायत की अचल संपत्ति ।
  (2) पंचायत के अधीन संस्थायें जैसे कांजी हाउस ।
  (3) पंचायत क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाएं, सहकारी समिति अस्पताल, स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, पटवारी कार्यालय ।
  (4) ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या ।
  (5) ग्राम पंचायत क्षेत्र में साक्षरों एवं निरक्षरों की संख्या ।
  (6) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अपंगों, निराश्रितों के नाम तथा योजना का लाभ मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
  (7) पंचायत क्षेत्र में एकीकृत ग्राम विकास योजना, निर्माण कार्यो के नाम, उन पर होने वाले व्यय आदि का विवरण ।
  (8) जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन ।

- विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि पंचायत कोष में जमा करना और इसका हिसाब रखना तथा व्यय हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।
- समय–समय पर विभिन्न उत्सवों और समारोहों को मनाने के लिए सरपंच को मदद देना, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गण्तंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, महिला दिवस आदि ।
- पंचायत क्षेत्र में स्थित विभागीय कार्यक्रमों आंगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, आदि के संचालन में सहयोग देना और कठिनाईयों को दूर करना ।
- समय–समय पर विभागीय कार्यक्रमों में सहयोग देना ।
- ग्राम पंचायत को दिये गये रेडियो/टी.वी. सहित सभी सामान की सुरक्षा करना तथा इनका सही उपयोग हो इस ओर ध्यान रखाना ।

3.9 ग्राम पंचायत में वित्तीय एवं कराधान कार्य :

- ग्राम पंचायत का आय–व्यय का ब्यौरा तैयार कर ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति के लिए पेश करना तथा स्वीकृत आय–व्यय पर आगे कार्यवाही करना ।

- ग्राम पंचायत की रोकड़ पंजी में प्रतिदिन आय–व्यय दर्ज करना । कोष पंजी में प्रत्येक आय–व्यय पर सरपंच के हस्ताक्षर लेना ।
- माह के अंत में अंतिम बचत का सत्यापन तथा सरपंच के हस्ताक्षर लेना ।
- रोकड़ पंजी प्रमाण–पत्र दर्ज करना और अपने हस्ताक्षर दर्ज करना ।
- हर माह की पांच तारीख तक पिछले माह के आय–व्यय की जानकारी तैयार करना और ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए पेश करना ।
- पंचायत कोष की राशि की सुरक्षा, लेखा नियमों के अनुसार करना और यह देखना कि राशि स्थानीय सहकारी बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, ट्रेजरी अथवा पोस्ट आफिस में जमा की जाती है ।
- ग्राम पंचायत की आय–व्यय का वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय तक तैयार करना तथा पंचायत में रखना ।
- पंचायत अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत ऐच्छिक करों के निर्धारण की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत करना और ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ग्राम पंचायत के करों के निर्धारण व मांग वसूली का रजिस्टर नियमानुसार तैयार करना ।
- ग्राम पंचायत के करों की वसूली करना और उसमें मदद करना ।
- ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि के संबंध में सरपंच और ग्राम पंचायत को सुझाव देना ।
- ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि हेतु जैसे सामुदायिक सम्पत्ति निर्माण के लिये पंचायत वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के लिये कोशिश करना । इस संबंध में सरपंच एवं ग्राम पंचायत को सलाह देना ।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन देना और ऋण मिल जाने पर उसका उपयोग उसी कार्य के लिये करना जिसके लिये ऋण प्राप्त हुआ हो ।
- सभी प्रकार के ऋणों की अदायगी की ओर ध्यान देना और देखने की निर्धारित तिथि में ऋणों की अदायगी हो जाती है ।
- ग्राम पंचायत के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री की खरीद के लिये नियम के अनुसार भाव पत्र (कोटेशन) मंगवाना और मंगवाकर सामग्री की तुलनात्मक सूची की कमेटी के विचार के लिए पेश करना ।
- ग्राम पंचायत को मिलने वाली अनुदान राशि का सही हिसाब रखना । दुरूपयोग के मामले की सूचना सक्षम अधिकारी को देना ।
- अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के लिये भेजना ।
- ग्राम पंचायत निरीक्षण तथा अंकेक्षण के लिए सभी अभिलेख संबंधित अधिकारियों को नियम के अनुसार उपलब्ध करवाना एवं समय पर जानकारी देना ।
- निरीक्षण एवं अंकेक्षण का पालन प्रतिवेदन सरपंच की सलाह से तैयार करना और संबंधित अधिकारी को समय पर भेजने के पहले ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना।
- पंचायत एवं समाज कल्याण का योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना ।
- प्रतिवर्ष, पंचायत पर्व आयोजित करना तथा पंचायत स्तर पर गठित समिति के निर्देशों का पालन करना ।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे प्रौढ़ शिक्षा, एकीकृत बाल विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, अल्प बचत योजना, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, परिवार नियोजन, ग्रामीण आवास योजना, सामाजिक वानिकी निर्माण कार्य में सहयोग देना, उपलब्धियों का लेखा जोखा रखना ।
- आपातकालीन स्थिति में जैसे बाढ़, आग, टिड्डी दल का प्रकोप, ओले, बिजली गिरने आदि के प्रकोप के समय तत्परता से सहयोग देना ताकि प्रभावित व्यक्तियों को राहत मिल सके।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के समुचित विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने में सरपंच और पंचायत को सलाह देना और मदद करना ।

- दैनिक डायरी लिखना और उस पर प्रतिदिन सरपंच के हस्ताक्षर प्राप्त करना तथा मासिक बैठक में पेश करना।
- एक से अधिक ग्राम पंचायत में काम करने की स्थिति में सरपंचों की सलाह से पंचायत बैठक का दिन निश्चित कर बैठक में तथा कार्यालयीन कार्य के लिये संबंधित पंचायत में उपस्थित रहना ।
- ग्राम पंचायत के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों पर देख–रेख रखना ।
- इसके अलावा समय–समय पर ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी किये जा सकेंगे।
- पंचायत के मतदाताओं की सूची रखना तथा जरूरत होने पर पेश करना ।
- ग्राम सभा की बैठक सरपंच की सहमति से नियम के अनुसार आमंत्रित करना, तथा कार्यसूची (एजेण्डा) बनाना।
- ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुनर्विचार 6 माह से पहले नहीं करना, जब तक कम से कम तीन चौथाई सदस्य (पंच) लिखित में पुनर्विचार के लिये अनुरोध न करें, या विहित अधिकारी उस पर विचार करने का निर्देश न दें ।
- किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रमाण पत्र जारी न किया जावे जब तक उस संबंध में ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित न हो जाये ।
- सरपंच, उप सरपंच, पंच के पद मृत्यु या अन्य किसी कारण से खाली हों तो उसकी जानकारी जनपद, जिला पंचायत तथा संचालक, पंचायत को उपलब्ध करवाना ।
- सरपंच, उप सरपंच तथा पद से हटाये जाने अथवा निलम्बन होने पर इसकी सूचना, जनपद जिला पंचायत तथाउप संचालक पंचायत को भेजना ।
- पंचायत सचिव ग्राम सभा का भी सचिव है इसलिए ग्राम पंचायत के तहत आने वाली ग्राम सभाओं के लिए लगभग वे सभी काम करना, जो ग्राम पंचायत के लिए करता है। खासकर जिस ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा ग्राम सभायें हैं । वहां ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायत में तालमेल रखना ।

3.9.1 पंच से अपेक्षाऐं

1. ग्राम पंचायत की बैठक में नियमित भाग लेना,
2. उप–सरपंच के चुनाव की बैठक में भाग लेना और चुनाव में सहायता करना,
3. ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं, निमार्ण कार्यो तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर प्रगति और विकास के लिए कोशिश करते रहना,
4. ग्राम पंचायत के सम्मेलन में कार्यसूची के किसी भी विषय पर जानकारी लेना और सुझाव देना,
5. यदि किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मतदान की आवश्यकता होती है तो अपना निष्पक्ष मत देना,
6. जिस वार्ड का वह प्रतिनिधि है उसे चहुमुखी विकास के लिये प्रयास करना एवं अपने वार्ड की जरूरतों और पूरी पंचायत की जरूरतों में तालमेल बैठाते हुए ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में उन कार्यो को शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव देना,
7. शासकीय अधिकारियों/अमले से आवश्यक सहयोग प्राप्त करना तथा आवश्यक सहयोग देना,
8. ग्राम पंचायत के सरपंच का उप–सरपंच की अनुपतिस्थिति या उसके अपने पद पर न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव करना,
9. सरपंच एवं उप–सरपंच को उनके कार्यो के संचालन में सहयोग करना एवं सहायता देना,
10. ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर निगाह रखना और यदि कही पर कोई भी अनियमितता हो रही हो तो उसकी ओर ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करना,
11. क्षेत्र की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देना,
12. हेडपंप की मरम्मत कराते रहना एवं पानी की बरबादी को रोकना,

13. अपने क्षेत्र के कमजोर और पिछडे वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजनाऐं बनाकर पंचायत की मदद से उनका विकास करना तथा शासन की योजनाओं का लाभ दिलानें में उनकी सहायता करना,
14. हितग्राही मूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में योगदान देना,
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हितग्राहियों की सूची का सही अनुमोदन करवाना, जिससे सही व्यक्ति को लाभ मिल सकें।

3.10 ग्राम पंचायत में रखी जाने वाली पंजियॉ

ग्राम पंचायत के काम को व्यवस्थित और अच्छे ढंग से चलाने के लिये जरूरी है कि उसके दस्तावेज व्यवस्थित और संभाल कर रखे जाय अलग–अलग दस्तावेज जिन पंजियों में लिखे जाते है उनकी सूची यहॉ दी जा रही है । जिसे सरपंच उपसरंप और पंच जान सके इससे पंचायत के काम काज पर उनकी समझ विकसित होगी । सभी बातों को समझने में असरदार ढंग से पंचायत के कार्यो पर नियंत्रण भी रख सकेगे ।

1. रोकड़ (केश बुक) :– इसमे ग्राम पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली सम्पूर्ण आमदनी तथा विभिन्न मदों पर किये जाने वाले समस्त व्यय को अंकित किया जाता है । प्रतिदिन की आय एवं व्यय का हिसाब लिखा जाता है। किसी विशेष दिन आय व्यय नही हुआ हो तो दिनांक लिख कर निरंक बताते हुए ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर होगे।
2. रसीद कट्टा :– यह वह अभिलेख है जो ग्राम पंचायत को जितनी भी वित्तीय प्राप्तियॉ होगी उसके लिये रसीद कट्टे से रसीद प्रदान की जावेगी । तथा इसका प्रतिपर्ण (काऊंटर फाईल) पर रसीद प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर लिये जावेगे ।
3. रसीद कट्टा का मूल (स्टाक) लेखा :– पंचायत द्वारा जितनी रसीद कट्टा क्रय की गई है उनका खर्च एवं बचत का हिसाब इस पंजी में होगा ।
4. बिल पंजी :– ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का बिल तैयार किया जावेगा तथा बिल पंजी में अंकित किया जावेगा ।
5. वेतन बिल :– पंचायत के कर्मचारियों का वेतन बिल इस प्रत्रक पर तैयार किया जावेगा ।
6. अकास्मिक व्यय बील :– विशेष परिस्थिति में किया गया खर्च स्टेशनरी आदि पर व्यय इस प्रपत्र पर बनाया जावेगा।
7. प्राप्ति संक्षेप पंजी :– ग्राम पंचायत को विभिन्न संस्थाओं से जो भी आय प्राप्त होगी उसका मद वार इन्द्राज इस पंजी में किया जावेगा ।
8. व्यय पंजी :– पंचायत द्वारा जो भी खर्चा किया जावेगा उसका मदवार इन्द्राज इस पंजी में किया जावेगा ।
9. बसूली योग्य अग्रिमों की पंजी :– किसी कर्मचारी या सदस्य को दिये गये अग्रिम से वसूली की गई राशि का हिसाब इस पंजी में रखा जायेगा ।
10. विशेष प्रयोजन अनुदान पर लेखा :– निर्माण कार्यो से संबंधित हिसाब इस पंजी में रखा जायेगा ।
11. कर्मचारियों से ली गई प्रतिभूतियों की पंजी :– पंचायत कर्मचारियो से जमानत के रूप में जो राशि जमा कराई गई है उसका हिसाब इस पंजी में रखा जायेगा ।
12. चल या अचल सम्पंति की पंजी :– पंचायत के स्वामित्व के भवन, स्थाई जमीन तालाब आदि का ब्यौरा इस पंजी में रखा जायेगा ।
13. वाद पंजी :– पंचायत पर या पंचायत द्वारा किसी पर चलाये गये मुकदमा इस पंजी में रखा जायेगा ।
14. अर्थदण्ड पंजी :– किसी पंच या कर्मचारी या ग्राम नागरिकों पर पंचायत द्वारा लगाये गये जुर्माने का हिसाब इस पंजी में रखा जयेगा ।
15. नगद जमा पंजी :– इस पंजी में नगद राशि प्राप्त होगी तो उसका हिसाब रखा जायेगा ।
16. प्रस्ताव पुस्तिका :– ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित की गई बैठकों में जो भी प्रस्ताव पारित किया जाये उनका विवरण मदवार इस पंजी में रखा जाकर । अभिलेख में रखा जावेगा ।
17. भंडार पंजी :– पंचायत द्वारा समय – समय पर सामग्री का क्रय किया जाता है । अथवा किसी संस्था द्वारा प्रदाय किया जाता है तो समस्त सामग्री का उल्लेख इस भंडार पंजी में किया जावेगा।

18. निराश्रित पंजी :— ग्राम पंचायत क्षेत्र में असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों को पेशन राशि दिये जाने का हिसाब इस पंजी में रखा जाता है ।
19. आवक/जावक :— ग्राम पंचायत को जो भी प्रत्र प्राप्त होगे तथा भेजे जावेगे उनका उल्लेख इस पंजी में किया जावेगा । पत्र का क्रमांक ,भेजे जाने की तिथि , भेजने वाले का नाम तथा पत्र के विषय का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ।
20. डाक टिकट खर्च पंजी :— जो भी पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा भेजे जाते है उन पर जो टिकट का व्यय होगा उसका हिसाब इस पंजी में रखा जावेगा ।
21. मांग वसूली पंजी :— ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी कर निर्धारित किये जोते है उनकी वसूली तथा बकाया की स्थिति को इस पंजी में दर्शाया जाता है।
22. जन्म/मृत्यु/विवाह पंजी :— ग्राम पंचायत क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु से संबंधित निवास करने वाले परिवारों के सदस्यों की जानकारी का विवरण एवं विवाह का विवरण इस पंजी में रखा जायेगा ।
23. प्रमाण — पत्र पंजी :— ग्राम पंचायत के द्वारा वे सभी प्रमाण — पत्र जो दिये जाते है के संबंध में विस्तृत ब्यौरा इस पंजी में रखा जावेगा । प्रमाण —पत्र प्राप्त करनेवाले का नाम ,विषय , प्रमाण — पत्र जारी करने का दिनांक तथा प्रमाण — पत्र जारी करने के कारणों का उल्लेख होगा ।
24. बैंक जमा पंजी :— ग्राम पंचायत को जो भी राशि चैक के माध्यम से प्राप्त होती है उसको बैंक खातें में जमा करने का विवरण इस पंजी में रखा जावेगा ।
25. आवास पंजी :— ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आनेवाले भवनों के प्रकार , संख्या , निवास करने वाले सदस्यों की संख्या तथा मकान के संबंध में आवश्यक जानकारी इस पंजी में लिखी जायेगी ।
26. पलायन करने वालों की पंजी :— इस पंजी में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे परिवारों की जानकारी रखी जावेगी जो किसी भी कारण से स्थाई अथवा अस्थाई रूप से पंचायत क्षेत्र को छोड कर अन्य किसी स्थान पर चले गये है ।
27. बोटर लिस्ट :— ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की सूची कार्यालय के अभिलेख के लिये रखी जावेगी।
28. कांजी हाऊस से संबंधित पंजियो का विवरण :— यदि ग्राम पंचायतो की सीमा में कांजी हाऊस है तो इस हेतु निम्नलिखित पंजियों का ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा जाना आवश्यक है ।
    1. पशु प्रवेश पंजी ।
    2. पशु रिहाई पंजी ।
    3. पशु नीलामी पंजी ।
    4. पशु आहार पंजी ।

उपरोक्त पंजियों के अतिरिक्त समय—समय पर आवश्यकतानुसार विहित अधिकारी के द्वारा निर्देश दिये जाने पर अन्य पंजियों को ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखा जाना चाहिये ।

3.10.1 सरपंच के—ग्राम पंचायत के सदस्यों और सचिव से संबंध

सरपंच ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत के सभी काम होंगे । ग्राम पचांयत में उपसरपंच और पंच भी हैं जिन्हे जनता ने चुना है । सरपंच को इन चुने हुए साथियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम करना है। एक बात साफ साफ समझ लेना चाहिये कि प्रजातंत्र में सभी अधिकार किसी को नहीं होतें। अधिकार बहुत से लोगों/इकाईयों के पास होते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत के अधिकार सरपंच के साथ साथ उपसरपंच और पंचो के साथ साथ पंचायत के सचिव के पास भी होते हैं । सरपंच को सब से मिलकर सबके सहयोग से काम करना है ।

3.10.2 उपसरपंच और पंचों से संबंध

- सरपंच जिस टीम (पंचायत) के मुखिया है उपसरपंच और पंच उसके महत्वपूर्ण लगभग बराबरी के सदस्य हैं। इसलिये उनको साथ लेकर चलना जरूरी है ।
- संबंध ऐसे हो जिनमें कोई विवाद न हो। सभी फैसले जहां तक हो सकें सर्वसम्मति से हो।

- संबंध ऐसे हो जिनमें सभी सदस्य खासकर महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग तथा गरीब वर्ग के सदस्य भी अपनी बात आसानी से खुलकर कह सकें ।
- सरपंच को चाहिये कि सबसे बराबरी और सम्मान के साथ व्यवहार करे साथ में यह भी देखे कि कोई किसी को दबा न पाये । संबंधों में खुलापन, सरलता, बराबरी और सभी की इज्जत हो इसका ध्यान जरूर रखें ।

3.10.3 सचिव से संबंध

- जनप्रतिनिधि नीतियां बनाते हैं , फैसले करते है उन्हे लागू करने का काम सरकारी कर्मचारियों का है । यह समझना जरूरी है कि प्रजातंत्र में काम ठीक तरह से तभी हो सकेगा जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों से अपनी बनाई नीतियों के अनुसार काम करा सकें । इसके लिये जरूरी है कि सरपंच सचिव के साथ तालमेल और सहयोग बनाये रखे ।
- सचिव से सरकारी नियम कायदे समझे और उसे नियम कायदे से काम भी करने दे ।
- सचिव को नियम कायदे से हटकर काम करने के लिये मजबूर न करे ।
- यह देखे कि लिखा पढी का काम सचिव समय पर पूरा करते रहे ।
- सचिव पंचायत के द्वारा तय किये गये काम को पूरा करने के लिये समय पर प्रस्ताव बनाकर जनपद या जिला पंचायत को भेजे इस काम में सचिव का सहयोग करना है ।
- सचिव को सरकारी कायदे कानून और कार्यक्रमों की जानकारी होती है । इसलिये नीतियां बनाने में योजना बनाना, और महत्वपूर्ण फैसलों में सचिव की सलाह लेते रहें ।
- सचिव के साथ अच्छे सम्मानजनक और भरोसे के संबंध रखकर सरपंच अपनी ग्राम पंचायत के लिये ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे ।

3.11 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संबंध

गांधी जी गांवों को जब गणराज्य के बराबर मजबूत बनाने की बात करते थे तो जाहिर है वे ग्राम सभा को मजबूत करने की वकालत कर रहे थे । ग्राम सभा के माध्यम से ही वास्तविक प्रजातंत्र आ सकता है बाकी ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी तो प्रतिनिधि संस्थायें हैं । ग्राम सभा ही एक मात्र पूरी जनता की संस्था है जिसके द्वारा जनता का राज्य जनता के द्वारा चलाया जा सकता है । ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनी है । इसमें चुने गए प्रतिनिधि नहीं बल्कि चुनने वाली जनता के हाथ में सत्ता होती है। हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा प्रजातंत्र की बुनियाद है । ग्राम सभा के सबसे पास होती है ग्राम पंचायत । ग्राम पंचायत की मजबूती और कामयाबी के लिए जरूरी है ग्राम सभा का बेहतर होना । यहां हम ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के उन रिश्तों की बात करेंगें जो पंचायत राज की औपचारिक व्यवस्था में है । छोटे–छोटे गांव में जहां आबादी एक हजार से कम है वहां ग्राम सभाओं के समूह से ग्राम पंचायत बनती है । जिन गांवों की आबादी एक हजार या इससे अधिक है वहां एक गांव (ग्राम सभा) में ग्राम पंचायत भी होती है परन्तु

- ग्राम सभा के सदस्य ही पंचायत के चुनाव में मतदान कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं ।
- ग्राम सभा की योजनाओं को मिलाकर ग्राम पंचायत की योजना बनाई जाती है ।
- ग्राम सभा की कार्ययोजना को ग्राम पंचायत वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर ग्राम सभा से क्रियान्वित कराती है।
- जिला पंचायत, जनपद पंचायत या कलेक्टर, ग्राम पंचायतों से जिन योजनाओं को पेश करने की अपेक्षा करते हैं उसे पहले ग्राम सभा के सामने रखना होगा ।
- ग्राम सभा गांव के विकास के लिए जरूरी कामों और महत्वपूर्ण विषयों पर ग्राम पंचायत का ध्यान खींच सकेगी।

- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की उन जरूरी सिफारिशों को लागू करती है जो नियम के अनुसार हो साथ ही उपलब्ध बजट के अनुसार हों ।
- ग्राम पंचायत को छोटे तालाबों और जलाशयों के उपयोग के लिए सलाह देना ग्राम सभा का काम है । (धारा–7)
- ग्राम पंचायत की हितग्राही मूलक योजनाओं (जिन योजनाओं में हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलता है) में हितग्राहियों की पहचान और उनका चयन ग्राम सभा करती है ।
- ग्राम सभा ग्राम पंचायत की आडिट और लेखा रिर्पोट पर विचार करती है ।
- ग्राम पंचायत ऐच्छिक कर ग्राम सभा के अनुमोदन (मंजूरी) के बाद ही लगा सकती है ।
- ग्राम सभाओं के बजट को मिलाकर ग्राम पंचायत का बजट बनता है । ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सालाना बजट पर विचार करती है ।
- ग्राम सभा के अनुमोदन (मंजूरी) के बाद कोटवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगन बाड़ी सहायिका, जनस्वास्थय रक्षक, शिक्षा ग्यारंटी केन्द्र के गुरू जी, गौ रक्षक, कांजी हाउस के महुर्रर और चरवाहे, पम्प चालक (यदि जल प्रदाय योजना चालू है तो) हैण्डपम्प यदि आमदनी ज्यादा हो तो लिपिक, चौकीदार भृत्य आदि पदों पर ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं । ग्राम पंचायत के काम का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है ।
- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में सहयोग और तालमेल गांव के विकास के लिए जरूरी है ।
- पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2004 में धारा 7 क में संशोधन करके व्यवस्था की है कि ग्राम सभा अपने काम और कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए ग्राम सभा की दो स्थायी समितियां बनायेगी (एक) ग्राम निर्माण समिति और (दो) ग्राम विकास समिति । इसी संशोधन में धारा 7 ख में कहा गया है कि ग्राम सभा की यह ग्राम निर्माण समिति ग्राम पंचायत की एक ऐजेन्सी के रूप में काम करेगी । निर्माण समिति पांच लाख रूपये तक के सभी निर्माण काम करेगी और ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के द्वारा सौंपे गये दूसरे काम भी करेगी ।
- अनुसूचित क्षेत्रों में जहां पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (40/1996) लागू है वहां ग्राम सभाओं को कानूनी रूप से अधिक मजबूती दी गई है । आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोपरी माना गया है ।

4 ग्राम पंचायत निधि

ग्राम पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलायेगी जिसमें पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियॉ एवं राज्य सरकार द्वारा उदग्रहित एवं संग्रहित ऐसे कर पथकर तथा फीस जो राज्य सरकार ने पंचायतों को समनुदेशित कर दिये है। राज्य सरकार की संचित निधि में से प्राप्त सहायता अनुदान।

4.1 केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाले अनुदान की योजनाये

क्रं.	योजना का नाम	केन्द्र द्वारा प्रदाय राशि (प्र.श. में)	राज्य द्वारा प्रदाय राशि (प्र.श. में)	अन्य (प्र.श. में)
01	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	80	20	–
02	इंदिरा आवास योजना	100	–	–
03	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	100	–	–
04	इंदिरा आवास उन्नयन योजना	100	–	–
05	सेक्टर रिफार्म योजना	80	–	20 प्र.भा. जनसह
06	ग्रामीण सह ऋण आवास योजना	100	–	–
07	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	100	–	–
08	राष्ट्रीय सामाजिक एवं वृद्धाअवस्था योजना	50	50	–
09	केन्द्रीय वित्त आयोग	–	–	–
10	जन भागीदारी योजना	–	50	50 प्र.भा. जन सह
11	हरिजन विशेषांक	–	100	–
12	आदिवासी विकास उपयोजना	–	100	–
13	सांसद निधि	100	–	–
14	विधायक निधि	–	100	–
15	राज्य वित्त आयोग	–	–	–
16.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	90	10	–
17.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	100	–	–

4.2 पंचायत निधि का व्यय

पंचायत निधि का उपयोग पंचायत अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उप बंधो के अध्याधीन रहते हुए पंचायत के विकास संबंधी क्रियाकलापों एवं लोक हित में आवश्यकतानुसार व्यय किया जावे।

पंचायत निधि को जमा रखना

पंचायत निधि सरकारी खजाने डाक घर सरकारी बैंक उसकी शाखा में जमा रखी जावे ।

4.3 रोकड़ बही

रोकड़ पंजी दो पंक्ष होते है दायें हाथ का पक्ष खर्च तथा बायें हाथ का पक्ष जमा का होता है । इस पंजी में जो भी राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है उसे जमा पक्ष में एवं पंचायत द्वारा जो राशि व्यय की जाती हौ उसे खर्च में दर्शाया जाता है । पंजी में साधारणतः निम्न कालम होते है :–

जमा दिनांक	वाउचर क्रमांक	विवरण खाता नं.	राशि	कुल राशि	खर्च दिनांक	वाउचर क्रमांक	विवरण खाता नं.	राशि	कुल राशि

4.3.1 बकाया

ग्राम पंचायत की कोई भी रकम बिना पर्याप्त कारणों के बकाया नही रहने दी जाय यदि बकाया रकम की राशि में कमी करनी या छूट देना हो या उसे बट्टे खाते में डालना हो तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त करें।

4.3.2 रकम निकालना

निधि का निकाला जाना

खजाने में रखे निधि के लेखे में से रकम चैक द्वारा निकाली जायेगी ।

ग्राम पंचायत निधि से तब तक कोई रकम नहीं निकाली जावे जब तक कि ग्राम पंचायत की बैठक में इस विषयक प्रस्ताव पारित न किया हो, ऐसी परिस्थिति में जबकि वितरित ना की गई हो दो या तीन दिवस तक सरपंच दो सौ की रकम अपने पास रख सकेगा अगर रकम खर्च न हो तो तत्काल बैंक में जमा करा जावे । जिला पंचायत का अध्यक्ष रू. 10,000/– रख सकते हैं ।

4.4 मन्जूरी प्रभावी रहने की अवधि

व्यय के संबंध में किसी भी प्राधिकारी की मन्जूरी से व्यय पूर्ती के लिये निधियॉवंटन की जाती है वे वर्ष भर या विशिष्ट अवधि हो तो के लिये प्रभवी रहती है ।

4.5 व्यय पर नियंत्रण

जिला और जनपद पंचायतों में कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों में सचिव की निजी जिम्मेदारी होगी कि खर्च शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी बजट सीमा के अन्दर ही हो । पंचायत द्वारा किये जा रहे खर्च पंचायत के हित में ही होना चाहिये ।

4.6 ग्राम पंचायत निधि में रकम रखना व निकालना

4.6.1 निधियों का आहरण

बैंक, डाकघर, खजाने आदि से ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा रकम आहरित की जावेगी।

4.6.2 अन्य पक्षों का भुगतान

सामान्यतः भुगतान चैक द्वारा किये जायेगे छोटे खर्च स्थायी अग्रिम से पूरे किये जायेगे ।

4.6.3 नमूने के हस्ताक्षर

सरपंच द्वारा उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा में ग्राम पंचायत निधि रखी जाती है अपने नमूने के हस्ताक्षर भेजने चाहिये । नया सरपंच कार्यभार सम्हाले तो नमूने के हस्ताक्षर बैंक को भेजने चाहिये । वह रोकड बही निकलवाने और निधि को रखने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद पासबुक उपयोग में लाये गये चैक की रसीद लेने के बाद सौप देगा

4.6.4 चैक

चैक बुक (पुस्तके) उस खजाने से प्राप्त होगी जिसमें निधि का लेखा रखा गया हो सरपंच के उपयोग में लाई गई प्रत्येक चैक पुस्तक के क्रमांक खजाने को अधि सूचित करेगा।

4.7 ग्राम पंचायत के अपने साधन

जब सरकार पैसा देती है तो फिर पंचायतों को अपने साधन क्यों जुटाना चाहिए ?

पंचायतों को गांव के विकास और समाज के वंचित तबके को न्याय दिलाने के लिए बहुत से साधन चाहिए । जाहिर है पंचायत की जरूरतों का कोई अंत नहीं हो सकता । चार जरूरतें पूरी करें तो छह पहले से राह देख रहीं हैं । ऐसी हालत में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि पूरी नहीं पड़ सकतीं । एक बात और यह कि जो पंचायत जितना अधिक आत्म निर्भर होगी वह उतनी ही मजबूत होगी । इसलिये पंचायतों को चाहिए कि वे अपने साधन ज्यादा से ज्यादा जुटाने की ओर ध्यान दें यहां कुछ उदाहरण दे रहे हैं । अपनी –अपनी परिस्थिती में पंचायतें इनमें से कुछ को अपना सकती हैं ।

4.8 पंचायतें अपने साधन कहां–कहां से जुटा सकती हैं ?

ग्राम पंचायत कर (टैक्स) लगाकर आमदनी कर रही हैं । कुछ टैक्स जरूरी होते हैं जिन्हें अनिवार्य कर कहते हैं और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो पंचायत चाहे तो लगा सकती है इन्हें वैकलिप कर कहते हैं । अनिवार्य और वैकल्पिक कर का ब्यौरा अलग से दिया जा रहा है ।

- श्रमदान एक बहुत बड़ा साधन है । बड़े–बड़े काम प्रदेश में श्रमदान से हो रहे है ।
- कई पंचायतों में स्वैच्छिक संस्थाओं, धर्मार्थ ट्रस्ट और समाज के दान–दाताओं ने पंचायतों की आर्थिक मदद की है उदाहरण के लिए सीहोर जिले की सीहोर जनपद पंचायत तथा पन्ना जिले की अजयगढ़ जनपद पंचायत के तहत अनेकों पंचायतों में समर्थन–सेंटर फार डेवलपमेंट सर्पोट ने कुंआ, हैण्डपम्प, तालाब, शालाओं में शौचालय आदि बनवाने में ग्राम पंचायतों की आर्थिक और तकनीकी मदद की है ।
- जनभागीदारी से अनेंकों पंचायतों ने बड़े–बड़े काम किये हैं ।
- ग्राम पंचायतों ने दुकाने, बनवाकर उनके किराये से अच्छी–खासी नियमित आमदनी की है।
- धर्मशालायें और सार्वजनिक भवन बनवाकर उनके किराये से भी पंचायतें नियमित आमदनी कर रहीं हैं ।
- तालाबों को पटटे पर देकर ग्राम पंचायते आमदनी कर रहीं हैं ।
- कुछ पंचायतों ने बचत करके फिक्ड डिपाजिट में रकम रखकर उससे मिलने वाले ब्याज से भी आमदनी की है। हालांकि ब्याज दर में हो रही लगातार कमी और दिन–ब–दिन बढ़ती कीमतों के माहौल में अब यह पुराना नुस्खा अधिक कारगर नहीं रह गया है फिर भी कुछ न कुछ लाभ तो अभी भी इससे है ।

4.9 ग्राम सभा की आय के साधन

ग्राम सभा की आय मुख्य रूप से दो साधनों से होगी । पहला, ग्राम सभा अपने साधनों से आमदनी करेगी । जिसमें सहयोग, दान और टैक्स लगाना आदि शामिल होगा और दूसरा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली राशि होगी ।

ग्राम सभा की जो भी आमदनी होगी वह ग्राम कोष में जमा की जायेगी । ग्राम सभा के पास निम्नलिखित साधनों से आमदनी होगी –

4.9.1 ग्राम सभा द्वारा टैक्स लगाकर

ख. जिला पंचायतराज निधि से मिलने वाली राशि जिसमें भू राजस्व, भू राजस्व उपकर, गौण खनिज, गौण खनिज पर प्राप्त रायल्टी, मछली पकडने के अधिकार के पटटे से मिलने वाली राशि, चराई फीस,

शाला–भवन उपकर शामिल है । केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये मिलने वाला पैसा ।

घ. ग्राम सभा की अन्य गतिविधियों से होने वाली आमदनी

च. दान

केन्द्र और राज्य सरकार से जो पैसा आयेगा वह ग्राम पंचायत निधि में जमा होगा । ग्राम पंचायत निधि से उस पंचायत में आने वाले गांवों में वह पैसा उस गांव के ग्राम कोष में भेजा जायेगा । यह पैसा किसी मनमाने तरीके से नहीं बांटा जायेगा इसके लिये राज्य वित्त आयोग, मापदंड/आधार बनायेगी । इन आधारों के अनुसार ही ग्राम सभा को पैसा भेजा जायेगा ।

ग्राम सभा को यह ध्यान रखना होगा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से जिस मद या जिस काम के लिये पैसा मिले उसे उसी मद में खर्च करना होगा । ग्राम सभा के द्वारा जो पैसा इकट्‌ठा किया जायेगा उसे वे अपनी जरूरत के अनुसार गांव में खर्च कर सकेंगे । खर्च करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी पैसा खर्च न करें। खर्च करने के पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है । यदि किसी आपात स्थिति में एकाएक पैसा खर्च भी करना पड जाये तो जल्दी से जल्दी उसकी अनुमति ग्राम सभा से ले ली जाये ।

4.9.2 ग्राम सभा द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स (कर)

ग्राम सभा अपने गांव की सीमा में रहने वाले लोगों पर और गांव की सम्पत्ति और गतिविधियों पर टैक्स लगा सकेगी। ये टैक्स दो तरह के होंगे ।

क. अनिवार्य कर (जरूरी टैक्स)

ख. वैकल्पिक कर (ग्राम सभा की मर्जी से लगाये जाने वाले टैक्स)

4.9.3 अनिवार्य कर (जरूरी टैक्स)

जो भी टैक्स लगाना होगा उसके लिये ग्राम सभा संकल्प पारित करेगी ।

- ग्राम सभा जब टैक्स लगाना चाहे तो उसके पहले उसे गांव के सभी लोगों को पहले से बताना होगा कि इस तारीख को ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें टैक्स लगाने की बात की जायेगी । ग्राम सभा इस बैठक की सूचना गांव की मुख्य–मुख्य जगहों पर सूचना चिपकाकर तथा डोंडी पिटवाकर गांव वालों को देगी ।
- ग्राम सभा जो भी टैक्स लगायेगी उस पर गांव वाले अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में भेज सकेगें । इसके लिये ग्रम सभा को एक निश्चित तारीख तय करके गांव वालों को बताना होगा जिससे टैक्स लगने से पहले गांव वाले चाहें तो अपनी आपत्ति या सुझाव उस तारीख तक या उसके पहले ग्राम सभा को भेज सकेंगे ।
- गांव वालों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ही ग्राम सभा टैक्स लगने का फैसला कर सकेगी ।
- ग्राम सभा के द्वारा जो भी टैक्स लगाने का फैसला लिया जाये उसकी सूचना लिखकर गांव के मुख्य–मुख्य स्थानों पर चिपकाई जाये और डोंडी पिटवाकर लोगों को सूचना दी जाये । ऐसी सूचना टैक्स लगाने के एक महीने पहले दी जाये।
- टैक्स कब से प्रभावी होंगे
- जो भी टैक्स लगाये जायेंग्रे वे आमतौर पर 1 अप्रेल से 31 मार्च तक के लिये लगाये जायेंगे । 1 अप्रेल से 31 मार्च के समय को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं । नये वित्तीय वर्ष के लिये टैक्स लगाने का प्रस्ताव फिर से पारित करना होगा । ग्राम सभा द्वारा लगाये गये टैक्स या तो 1 अप्रेल से लागू होंगे या फिर 1 जुलाई , 1 अक्टूबर, 1 जनवरी और 1 अप्रेल को खत्म होने वाली तिमाही के लिये लागू होंगे ।

- भवन एवं जमीन पर सम्पत्ति कर (टैक्स)
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार , ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सम्पत्ति या धार्मिक या शिक्षा के लिये उपयोग में आने वाले भवन जहां छात्रावास/बोर्डिग हाउस के काम आ रही हो, जमीन और भवन को छोडकर बाकी जमीन और भवनों पर जिनकी कीमत छह हजार रूपये से ज्यादा हो उस पर ग्राम सभा टैक्स लगायेगी ।
- निजी संडासों पर कर (टैक्स)
- निजी संडासों की सफाई के लिये ग्राम सभा टैक्स लगायेगी । यह टैक्स ग्राम सभा तभी लगा सकती है जब निजी संडासों की सफाई का इंतजाम ग्राम सभा करे । ऐसे टैक्स लगाने की सूचना एक महिने पहले देना जरूरी है ।
- प्रकाश कर (टैक्स)
- यदि ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था की जाती है तो वह प्रकाश कर लगायेगी । यह कर ग्राम सभा क्षेत्र के अन्दर आने वाले सभी भवनों पर लगाया जायेगा । यह भवन की कीमत के आधार पर लगाया जायेगा । कहने का मतलब छोटे भवन पर कम और बडे भवन पर ज्यादा परंतु धार्मिक या शैक्षणिक उपयोग के लिये आने वाले भवन जिनमें छात्रावास और बोर्डिग हाउस भी आते हैं जिनका इन भवनों के मालिकों को कोई किराया नहीं मिलता उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा।
- आजीविका या व्यवसाय पर कर (टैक्स)
- ग्राम सभा की सीमा में व्यापार करने या आजीविका कमारे वालों पर ग्राम सभा टैक्स लगायेगी ।ग्राम सभा द्वारा लगाये गये टैक्स की यह राशि व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले को उस साल के लिये अग्रिम में (पहले से)देना होगा ।

4.9.4 भूमि तथा भवन पर (टैक्स) कर की दर

कं.		न्यूनतम	अधिकतम
01	उन भवनों पर, जिनका पूंजी मूल्य 6000 रूपये से अधिक किन्तु 12000 रूपये से अधिक न हो	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग पर 20 पैसे	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग पर 30 पैसे
02	12000 रूपये से अधिक पूंजी मूल्य के भवनों पर	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 500 रूपये या उसके भाग पर 1 रूपया	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 500 रूपये या उसके भाग पर 1.50 पैसे

ग्राम सभा क्षेत्रों के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर की दर

वार्शिक आय (रूपये में)	न्यूनतम (रूपये में)	अधिकतम (रूपये में)
11000 से 15000	100	200
15001 से 20000	150	300
20001 से 30000	200	400
30001 से 40000	300	600
40001 से 50000	450	900
50001 से अधिक	650	1400

4.9.5 वैकल्पिक कर (टैक्स)

- टैक्स लगाने के बारे में जो बातें अनिवार्य कर या जरूरी टैक्स लगाने के संबंध में पहले कही गई हैं उनके अलावा वैकल्पिक कर के संबंध में ये बातें भी जरूरी हैं ।
- ग्राम सभा के द्वारा टैक्स लगाये जाने की घोषणा करने के पन्द्रह दिन के अंदर आपत्ति सुनी जायेगी । मतलब यह कि यदि पन्द्रह दिन के अंदर कोई आपत्ति आती है तो ग्राम सभा को उसकी सुनवाई (या फिर से विचार) करना होगी ।
- ग्राम सभा के द्वारा लगाये गये टैक्स के संबंध में गांव वालों के द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद यदि ग्राम सभा टैक्स में बदलाव करती है तो यह बदली हुई सूची गांव के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई जायेगी और टैक्स में किये गये इस बदलाव को डोंडी पिटवाकर भी गांव वालों को बताया जायेगा ।
- ग्राम सभा के द्वारा लगाये गये टैक्स से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो (राजी न हो)तो टैक्स की सूचना जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा । अपील प्राधिकारी इसका परीक्षण करेंगे परंतु कोई अपील तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक की अपील करने वाले के द्वारा अपील करने की तारीख तक ग्राम सभा को उस पर लगाये गये टैैक्स का पचास प्रतिशत यानि कि आधा टैक्स ग्राम सभा को अदा नहीं कर दिया गया हो । मतलब यह कि जिस व्यक्ति को अपील करना हो उसे आधा टैक्स पहले भरना होगा तभी वह अपील कर सकेगा।
- सराय, धर्मशाला, विश्राम गृह, वध शाला (जानवरों के कटने की जगह)तथा पडाव स्थल के उपयोग में लाने के पहले कर लिया जायेगा यानि की कर की राशि अग्रिम (पहले या एडवांस) में वसूल की जायेगी ।
- कर की वसूली सालाना या छह माही या तिमाही में अग्रिम रूप से वसूल की जायेगी मतलब पहले से साल की शुरूआत एक अप्रेल को, छह माही की शुरूआत एक अप्रेल से एक अक्टूबर को तथा तिमाही की एक अप्रेल से एक जुलाई, एक अक्टूटबर तथा एक जनवरी को मानी जायेगी ।
- साल की किसी तिमाही के समय में यदि कोई व्यक्ति पशु या वाहन, जिस पर टैक्स लगाया गया हो, नहीं रखता हो तो उस तिमाही के समय का टैक्स उससे नहीं लिया जा सकता है । जिस तिमाही या छह माही या साल के अंदर कोई पशु या वाहन रखेगा तो उसे उस समय का टैक्स देना होगा ।
- टैक्स का हिसाब रखने के लिये एक रजिस्टर बनाया जायेगा । अलग–अलग टैक्स के लिये अलग–अलग रजिस्टर रखे जा सकतें हैं या फिर एक ही रजिस्टर में अलग–अलग टैक्स के लिये अलग–अलग पन्ने रखे जा सकते हैं । रजिस्टर में हर महीने के खतम होने पर सरपंच तथा सचिव के दस्तखत किये जायेंगे ।

5 अनुसूचित क्षेत्रों के लिये पेसा अधिनियम

आजादी के बाद से आदिवासी लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहे । इनके इतिहास को देखा जाए तो स्पष्ट समझ में आता है कि आदिवासियों ने कभी भी किसी के अधीन हो कर जीना नहीं सीखा और सिर्फ उन्होंने अंग्रेजों का शासन भी स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही चलता है एवं बाहरी दुनिया की जटिलता से इनका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर इन्हीं का नियन्त्रण होना चाहिए।

परन्तु इन्हें अपने ही वनों में जाने की अनुमति नहीं है वन सुरक्षा अधिनियम व उसके प्रावधानों के कारण वहाँ से लकड़ी व अन्य वनोपज इकट्ठा कर लें तो इन पर अतिक्रमण का आरोप लगा दिया गया। वनों एवं जमीन पर अधिकार न रह जाने के कारण आजीविका के लिए इन्हें पलायन के लिए विवश होना पड़ा।

आजादी के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून चलते रहे जिसकी वजह से इनका शोषण बढ़ता गया और इनकी परंपरा समाप्त होती चली गई। विकास के नाम पर इन्हें लोकतंत्र की प्रमुख धारा में शामिल करने के लिए इन्हें वोट डालने का अधिकार तो दिया गया परन्तु सामाजिक न्याय से ये कोसों दूर रहे। दशकों तक अंग्रेजों के समय बनाए गए नियम कानून के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने काफी आवाजें उठाई जिनमें से कुछ भारत जन आंदोलन, नेशनल फ्रन्ट फार ट्राइबल सेल्फ रूल, आदिवासी संगम प्रमुख थे। 1980 के दशक में उस समय के आदिवासी जाति, जनजाति के कमीश्नर श्री बी.डी. शर्मा ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए आदिवासियों की दयनीय स्थिति को सबके सामने प्रस्तुत करने का अत्यधिक प्रयास किया जिससे की उनके हित में उचित कदम उठाया जा सके।

उभरते जन आंदोलनों को देखते हुए संसद ने आदिवासियों की स्थिति जानने के लिए एवं इस दिशा में उनके लिए उपयोगी कदम उठाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका नेतृत्व आदिवासी जाति के श्री दिलीप सिंह भूरिया के हाथों सौंपा। भूरिया कमेटी ने ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देने की मांग की जिससे की उनकी स्वशासन की परंपरा बरकरार रहे और साथ ही इस बात की भी पैरवी किया कि उपजाऊ भूमि एवं जंगल उनके ही अधीन होना चाहिए जिससे उनकी जीविका का साधन बना रहे परन्तु किन्हीं कारणों वश यह रिपोर्ट सरकार से मान्य नहीं हो पाई।

समय के साथ आंदोलन बढ़ते चले गए और आदिवासियों का "हमारा गांव .... हमारा राज ...." का नारा बुलंद होता चला गया। अंततः दिसम्बर 1996 में संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों के विशेष अधिनियम पास किया जिसे पेसा (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act-PESA) के नाम से जाना गया। यह अधिनियम आदिवासी स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक नई पहल थी।

5.1 पेसा अधिनियम

जनजातीय समूहों के स्वशासन में उनकी लोक परम्पराओं व रीति रिवाजों को महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदिवासी अभिशासन के पहलू में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व सुप्रबन्धन सर्वोपरि होता है। स्वशासन की जनजातीय व्यवस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों से सामन्जस्य बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर, पंचायतों से संबंधित संविधान के नौंवे अध्याय के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने हेतु बने इस अधिनियम को आम तौर पर पेसा के नाम से जाना जाता है।

पेसा आदिवासी समुदाय के लिए एक नई पहल है क्योंकि इसके द्वारा उन्हें उनके आदिवासी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला और इसके साथ ही उनका एक बार फिर से उनकी परंपरा एवं संपदा पर नियन्त्रण स्थापित हो गया।

दिए गए प्रावधानों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों में काफी लचीलापन है। पेसा क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर अधिकार दिये गये हैं स्थानीय

स्वशासन के इस प्रावधान में लोग अपनी सुविधानुसार अधिकारों का उपयोग कर अपनी दशा में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं। पेसा क्षेत्र की ग्रामसभाओं को यह अधिकार है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए विकासीय योजनाएं बनायें जो एजेन्सी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है उन पर नियंत्रण करें इसके अलावा लघुवनोपज, लघु जल निकायों एवं लघु खनिजों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। पेसा क्षेत्र के प्रावधानों के यह भी उल्लेखित है कि ग्रामपंचायतें स्थानीय बाजारों, शराब बनाने एवं बिक्री पर नियंत्रण आदि पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

पेसा शुरू होने से आज तक की प्रक्रियाओं में यह भी देखा गया कि इसके विधिवत लागू होने में कई तरह की चुनौतियां एवं दिक्कतें भी है लेकिन हमें इसकी सकारात्मक पक्ष को मजबूत कर नकारात्मक पक्ष को दूर करना है तभी इसकी प्रासंगिकता सही साबित हो पायेगी। इस संबंध में सरकार को अपने काम को पारदर्शी तथा पर्याप्त सहभागिता पूर्ण रखना होगा साथ ही सरकार एवं समुदाय को नवाचारी तरिकों से काम करने का प्रयास करना होगा तभी स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि यह सब काफी कठिन काम है पेसा क्षेत्र के लोग पूरी तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कैसे उन्हें स्थानीय स्वशासन एवं इसके प्रावधानों को सही रूप में लागू कर उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करे।

5.2 पंचायत–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (40/1996)

आदिवासी क्षेत्रों की विशेष प्रकृति और उनके सामुदायिक जीवन, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुये हमारे संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । संविधान की पांचवी अनुसूची में आदिवासी इलाको को प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गये हैं जिसके अनुसार कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही के लिये व्यापक और लोचशील ढांचा भी है । पांचवी अनुसूची में दी गई शक्तियों को विकास कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और अलग–अलग तरीकों से हो रहे उनके शोषण को खत्म करने के लिये यह प्रावधान किये गये हैं ।

पांचवी अनुसूची के पैरा 6(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के किसी भी इलाके को अपने आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं । पैरा 6(2) के अंतर्गत वे अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं में सुधार कर उसे बदल सकते हैं ।

इस अध्याय में पंचायत–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के लिये विशेष व्यवस्था, तथा मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की सूची दी जा रही है –

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने का उपबंध करने के लिये अधिनियम, भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 है ।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   ''अनुसूचित क्षेत्रों से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निहित हैं ।
3. पंचायतों से संबधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया जाता है ।
4. संविधान के भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान मण्डल, उक्त विभाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो, अर्थात :–

(क) पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक सम्पदाओं की परम्परागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा ।

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासें के समूह अथवा छोटे गॉवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो ।

(ग) प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामवलियों में किया गया है ।

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, जनसाधारण की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदाओं तथा विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी ।

(ड.) प्रत्येक ग्राम सभा –

(1) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदान, इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत क्षरा ऐसी योजना, कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन के लिए ली जाती है, करेगी ।

(2) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी ।

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ग्राम सभा से, खण्ड (ड) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उक्त पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करें ।

(छ) प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है ।

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्याा के आधे से कम नहीं होगा । परन्तु यह और कि अध्यक्षों के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ।

(ज) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है नामनिर्देशन कर सकेगी । परन्तु ऐसा नाम–निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा ।

(झ) ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजना के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुर्नवास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा ।

अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का योजना और प्रबंध समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जायेगा ।

(ट) ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पटटा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा ।

(ठ) नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिये रियायत देने के लिये ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफरिश को आज्ञापक बनाया जाएगा ।

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के दौरान, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में ?कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान–मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाए –

(1) मद्यनिषेध प्रविर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभाग को विनियममित या निर्वन्धित करने को शक्ति।

(2) गौण वन उपज का स्वामित्व ।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण के निवारण की और किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधिविरूद्धतया अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने की शक्ति ।

(4) ग्राम बाजारों को, चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंध करने की शक्ति।

(5) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति ।ध्

(6) सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति।

(7) स्थानीय योजनाओं औरऐसी योजनाओं के लिये जिनमें जनजातीय उपयोजनाओं हैं, स्त्रोतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति।

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जो उन्हे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिये समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिये रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत को या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न लें ।

(ण) राज्य विधान मण्डल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करने की छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा ।

इस अधिनियम द्वारा किये गये अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधो से असंगत हैं, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा । जब तक उसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता । या उस तारीख से जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता ।

परंतु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विघमान सभी पंचायतें अपनी अवधि के समाप्त होने तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हे उससे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा या किसी ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय के पारित किसी संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता ।

5.3 मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के लिये विशेष व्यवस्था

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के लिये विशेष व्यवस्था की चर्चा की है ।

ग्राम सभा 129 ख (2) यदि गांव के लोग चाहें तो एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने–अपने कार्यो का प्रबंध कर सकते हैं ।

कोरम 129ख (3) के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिये ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत सदस्यों का होना जरूरी है ।

ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के उस सदस्य के द्वारा की जायेगी जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से चुना हो परंतु वह पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या कोई सदस्य न हो ।

ग्राम सभा के काम और शक्तियां धारा 129 ग किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की धारा 7 में जो शक्तियां और काम मिले हैं उनके अलावा नीचे लिखे काम और शक्तियां भी ग्राम सभा की होंगी ।

एक लोंगों की परंपराओं और रूढ़ियों , उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को सुरक्षित रखना ।

तीन गांव के जल, जंगल जमीन का इंतजाम अपनी परंपरा के अनुसार और संविधान में दिये गये विधियों के अनुसार करना ।

पांच गांव में बाजारों , मेलों, और पशु मेलों का प्रबंध करना ।

छह स्थानीय योजनाओं के आमदनी के साधनों और खर्चो पर नियंत्रण रखना । इनमें जनजातियॉ उप योजनाऐं शामिल हैं।

सात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये काम और शक्तियों का पालन करना ।

5.4 मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र जिला तहसील

सी ओ 109 दिनांक 20 फरवरी 2003

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 खरगोन जिले में बडवानी , रायपुर, सेंधवा, भीखनगांव, खरगौन और महेश्वर तहसीलें ।

4 खंडवा जिले में हरसूद तहसील का खाल्वा, आदिवासी विकास खंड और बुरहानपुर तहसील का खकनार आदिवासी विकास खंड

5 रतलाम जिले में सैलाना तहसील

6 बैतूल जिले में बैतूल सामुदायिक विकास खंड को छोडकर बैतूल तहसील और भैंसदेही तहसील ।

7 सिवनी जिले में लखनादौन तहसील और सिवनी का कुरई आदिवासी विकास खंड

8 बालाघाट जिले में बैहर तहसील ।

9 होंशगाबाद जिले में होशंगाबाद तहसील का केसला आदिवासी विकास खंड ।

10 सीधी जिले में गोपदबनास तहसील का कुअर्नी आदिवासी विकास खंड

11 शहडोल जिले में पुष्पराजगढ और सोहागवीर तहसीलें और ब्यौहारी तहसील का जयसिहं नगर सामुदायिक विकास खंड

12 मुरैना जिले में श्योपुर तहसील का करहल आदिवासी विकास खंड

कृपया निम्न प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा कर संक्षेप में लिखें ?

1. पांचवी अनुसूची क्या है ?

....

....

2. ग्राम सभा किस कहते हैं ?

....

....

....

3. पंचायत अधिनियम के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) के अनुसार ग्रामसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है एवं ग्रामसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा ?

....

....

....

4. अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा में कितने लोग उपस्थित होंगे तो कोरम पूरा हुआ माना जायेगा ?

....

....

5. अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत स्थान किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है ?

....

6. अनुसूचित क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है ?

....

7. अनुसूचित क्षेत्र में क्या ग्रामसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है ?

....

....

....

8. अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में कितनी समितियां है ?

....

....

9. अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभा की कितनी बैठकें होगी ?

....

10. पंचायत में लेखा–जोखा का काम कौन देखता है ?

....

11. अनुसूचित क्षेत्रों में सबसे अधिक अधिकार किसको दिया गया है ?

....

12. ग्रामसभा बैठक की सूचना कैसे दी जानी चाहिए ?

....

....

....

पया समूह में चर्चा कर अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवहारिक स्थितियों (कार्यक्षेत्र के अनुभव के आधार पर) को संक्षेप में लिखें ?

1. क्या आपके कार्यक्षेत्र में ग्रामसभा लोगों की परंपराओं, रीति–रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटारा के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करती है।

....

....

किस प्रकार संरक्षण प्रदान करती है कृपया बतायें :

....

....

....

2. क्या आपके क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामसभा होती है ?

....

अगर नहीं तो क्यों ?

....

3. क्या आपके क्षेत्र में ग्रामपंचायत ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को मंजूरी देकर उन्हें क्रियान्वित किया है ?

....

....

क्रियान्वयन के दौरान आने वाली बाधाएं कौनसी थी ?

....

....

4. क्या गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अन्र्तगत हितग्राहियों के रूप व्यक्तियों की पहचान तथा चयन का उत्तरदायित्व ग्रामसभा ने निष्पक्षता के साथ पूर्ण किया है ?

....

....

5. अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था किस तरह की है ?

....

6. क्या आपके अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्रामसभा या पंचायत से सलाह मशविरा किया जाता है ?

....

....

अगर नहीं तो क्या कारण है ?

....

7. अनुसूचित क्षेत्रों में छोटी जल परियोजना (लघु जल निकाय) की योजना एवं प्रबंधन में एक नि चत स्तर पर ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका आपके कार्यक्षेत्र में व्यवहारिक रूप से विद्यमान है ?

....

....

8. अनुसूचित क्षेत्रों में गौंण खनिजों के खनन सम्बन्धी लायसेंस देने एवं खनिज अखनन संबंधी छूट प्रदान करने से पूर्व ग्रामसभा या ग्रामपंचायत की सिफारिशों को अनिवार्य करने सम्बन्धी व्यवस्था में क्या पहल की गई है ?

....

....

अगर नहीं तो क्यों ?

....

....

9. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तातंरण रोकने एवं आदिवासियों की जमीन का गैर कानूनी हस्तांतरण के विरूद्ध क्या कदम उठाये गए हैं ?

....

....

क्या आपकी संस्था द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं ?

....

....

10. गौंण (लघु) वन उपज का स्वामित्व प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को क्या शक्तियां प्रदान की है ?

....

....

11. अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने वाले या साहूकारों के ऊपर नियंत्रण करने हेतु क्या नियम बनाय गए हैं ?

....

....

नियम बनाने के दौरान आने वाली बाधाएँ कौन सी थी ?

....

....

12. क्या अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतें गांव के बाजार का प्रबंधन कर रही है ?

....

....

अगर कर रही है तो किस प्रकार ?

....

....

....

13. अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासी संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायत ने सामाजिक क्षेत्रों की सभी और गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

....

....

14. स्थानीय योजनाओं एवं संसाधनों जिसमें आदिवासी उपयोजना भी शामिल है के अर्न्तगत ग्रामपंचायतों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करने की पहल की गई है ?

....

....

15. अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों का विशेष अनुभव :

....

....

....

....